

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017—माघ 14, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. एफ-3-2-2016-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगरपालिका परिषद् प्रसान, जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन 2016 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान दिनांक 20 जनवरी 2017 शुक्रवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिये सामान्य अवकाश तथा प्रक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धार 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. एफ-1(ए) 156-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय), अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 2 से 3 जनवरी 2017 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है।

(2) श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अरविंद तिवारी, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, (समन्वय) अअवि, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सालोमन यश कुमार मिंज, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (सी.आई.) विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को उनके गृह नगर अलीगढ़ (उ.प्र.) जाने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर 2016 एक दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री संजीव शमी	..	स्वयं
2. श्री सम्यक शमी	..	पुत्र
3. कु. वृष्टि शमी	..	पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री संजीव शमी, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, (सी.आई.) विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सी.आई.), विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. एफ-1(ए)107-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, भोपाल की पुत्री के विवाह कार्य हेतु दिनांक 9 से 20 जनवरी 2017 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8 तथा 21-22 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करता है।

(2) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री के. बाबूगाव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)400-88-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार कॉर्पोरेटिव फ्रांड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खाब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2016 तक, पांच दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. एफ 1(बी)111-2016-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष

की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये-15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ('04) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

सं.	लोक सेवा	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापना
क्र.	आयोग द्वारा	एवं पत्राचार का पता	कार्यालय/स्थल
	अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	09	सुश्री माणकमणि कुमावत, 101, मोतीलाल नेहरू मार्ग, रेल्वे स्टेशन के पास, देवास म. प्र.- 455001.	रतलाम

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपर्युक्त कॉलम-4 में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंगी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्त आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण, कार्यक्रम आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विवित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भर्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भर्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(8) परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भर्ते, यात्रा भर्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अद्वैशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(11) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. एफ-1(ए)257-1988-ब-2-दो.—श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश गवालियर की पत्नी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लिया गया है।

(2) उक्त यात्रा के संदर्भ हेतु श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 दिसंबर 2016

क्र. एफ-4266-2016-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को उनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में आॅल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रुल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश जिला एवं सेशन न्यायाधीश (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट) रुल्स, 1964 एवम् मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 (1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिये अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री लखनलाल गोस्वामी, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2016 से 19 अक्टूबर 2017 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय (भारित) 11- वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता, इन्डौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2016 से 19 अक्टूबर 2017 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय (भारित) 11- वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर

(ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2016 से 19 अक्टूबर 2017 तक, एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय (भारित) 11- वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, श्री अनुपम तिवारी पुत्र श्री एस.पी. तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 29 अगस्त 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 33), राज्य शासन, सुश्री अंजली पटेल पुत्री श्री अनिल पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 27 जून 1992 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 38), राज्य शासन, सुश्री प्रियंका ओझा पुत्री श्री उदय ओझा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 13 अगस्त 1992 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 45), राज्य शासन, श्रीमती सपना पटवा पल्ती श्री सत्यनारायण पटवा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 दिसम्बर 1979 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 49), राज्य शासन, श्री सचिन साहू पुत्र श्री पन्नालाल साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 25 दिसम्बर 1980 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 66), राज्य शासन, सुश्री सपना कनोडिया पुत्री श्री जे. पी. कनोडिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 18 जनवरी 1981 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 74), राज्य शासन, सुश्री राधा उड़ई पुत्री श्री फागलाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 76), राज्य शासन, सुश्री निर्मला गुथरिया पुत्री श्री रूपसिंह गुथरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी 1984 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 80), राज्य शासन, सुश्री नेहा प्रधान पुत्री श्री सीताराम प्रधान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 अगस्त 1990 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 96), राज्य शासन, श्री राजू डावर पुत्र श्री कालू सिंह डावर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 1989 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

फा. क्र. 2017-4005-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52क सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के उपनियम (2) के अन्तर्गत श्री अकरम शेख, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी, इन्दौर को भ्रष्टाचार निवारण संबंधी प्रचलित प्रकरणों में श्री अशोक सोनी, विशेष लोक अभियोजक के सहायतार्थ अपने कार्य के अतिरिक्त अस्थायी रूप से नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सोनी, अतिरिक्त सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. एफ-1-3-2016-इकतालीस-2.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-3-2016-इकतालीस-2, दिनांक 18 अक्टूबर 2016 द्वारा जारी की गई “मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण निवेश संवर्धन नीति, 2016” का हिन्दी अनुवाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण निवेश संवर्धन नीति, 2016

1. परिकल्पना

इस नीति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (IT), सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (ITeS) तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) को प्रदेश के समावेशी विकास, लोगों के लिये रोजगार के अवसर निर्मित करने तथा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित करना है।

2. लक्ष्य

1. सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम के क्षेत्र में निवेश का प्रवाह बढ़ाना।
2. प्रदेश में युवाओं के लिये प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना।
3. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम सेक्टरों में विकास को गति देना।

3. रणनीति

1. सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम इकाइयों के उपयोग के लिये वाजिब मूल्य पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग जगत में प्रचलित श्रेष्ठ कार्यप्रणाली को इन सेक्टरों में प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनाये जाने के लिये प्रेरणा देना।

4. प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिये एक उद्भवन (Incubator) नेटवर्क की सहायता से एक ऐसा जीवंत और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण बनाना जिसमें स्वदेशी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिले और उनकी स्थापना में सुविधा मिल सके।

4. कार्ययोजना

1. राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम संबंधी इकाइयों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थलों पर शासकीय भूमि तथा निवेश क्षेत्र चिन्हित कर उन्हें उचित मूल्य पर विभिन्न पात्र हितधारकों (Stakeholders) को उपलब्ध करायेगी।
2. राज्य सरकार प्रदेश में आईटी पार्क तथा इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग कलस्टर्स की स्थापना में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये कदम उठायेगी।
3. टी एण्ड सीपी एक्ट के अंतर्गत तैयार की गयी विकास योजना में सार्वजनिक और अर्थ-सार्वजनिक भूमि के उपयोग का प्रावधान है। इस प्रकार की भूमि, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को आवंटित की जा सकती है। विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने आधिपत्य की पीएसपी भूमि का कुछ भाग सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम इकाइयों के उपयोग के लिये निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार से निर्धारित भूमि इस नीति के प्रावधानों के अनुसार आवंटित की जायेगी।
4. एकेवीएन, नगरीय निकायों, एमएसएमई तथा राजस्व विभाग की भूमि भी इस नीति के अंतर्गत पात्र प्रतिष्ठानों को आवंटित की जा सकती है। इन भूमियों को भी संबंधित विभाग/प्राधिकरण द्वारा इस नीति के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जायेगा।
5. राज्य सरकार मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम सेक्टर के विकास के लिये भारत सरकार के साथ निरंतर समन्वय के साथ कार्य करेगी।
6. राज्य सरकार स्टार्ट अप्स के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये इनक्यूबेशन सेन्टर्स और प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी।
7. राज्य सरकार छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये वहाँ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा सेक्टर के विकास को प्रोत्साहित करेगी।

5. नीति की प्रযोज्यता (Applicability)

मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाणित सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण तथा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिये इस नीति के लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

6. एकल खिड़की समाधान व्यवस्था

मध्यप्रदेश शासन सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं तथा ईएसडीएम के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करेगा और परियोजना स्वीकृति तथा सुविधाएँ प्रदान करने के लिये म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। यह कार्पोरेशन इस उद्देश्य के लिये ट्रायफेक के साथ निरंतर समन्वय से कार्य करेगा और ट्रायफेक द्वारा स्थापित एकल खिड़की व्यवस्था का उपयोग करेगा।

7. प्रोत्साहन

7.1 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन:

7.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित अथवा विकास के लिये प्रस्तावित भूमि के किसी क्षेत्र को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, बशर्ते कि यह क्षेत्र अनुक्रमी (contiguous) आधार पर 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिये। इस क्षेत्र में शामिल भूमि शासकीय हो सकती है, जिसमें विकास प्राधिकरण, स्थानीय नगरीय निकायों, एकेवीएन आदि अथवा निजी भूमि या उनकी संयुक्त भूमि शामिल है।

7.1.2 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का विकास करने वाले को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटन, मुद्रण शुल्क तथा पंजीयन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

7.1.3 ऐसे क्षेत्र को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण के लिये एफएआर से संबंधित लाभ भी मिल सकेंगे।

7.1.4 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम गतिविधि के अंतर्गत क्षेत्र उपयोगार्थ/निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 60% होगा। भूमि शासकीय अथवा किसी प्राधिकरण की होने की स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम गतिविधि के लिये न्यूनतम क्षेत्र भूमि आवंटन की शर्तों में उल्लेखित से कम नहीं होगा।

7.2 भूमि संबंधित लाभ

7.2.1 **भूमि आवंटन:** सरकार सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम इकाइयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना के लिये विकसित और अविकसित भूमि चिन्हित करेगी। यह भूमि आवेदकों को जिनमें इकाइयों के साथ डेवलपर्स को भी उपलब्ध करायी जायेगी जो सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ/ईएसडीएम इकाइयाँ एवं सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के इच्छुक हैं।

7.2.2 अन्य शासकीय भूमि तथा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर इस नीति की प्रयोज्यता (Applicability)

इस नीति के भूमि संबंधित लाभों से जुड़े प्रावधान अन्य शासकीय भूमि पर लागू होंगे, जिसमें एकेवीएन, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा विकसित भूमि, एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश और म.प्र. ग्राम तथा नगर निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित विकास प्राधिकरणों की भूमि शामिल है। इस जमीन का आवंटन और प्रबंधन संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।

7.2.3 भूमि के मूल्य में छूट

- अ) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम इकाईयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों एवं निवेश क्षेत्र के विकासकर्ता को भूमि के मूल्य पर छूट लागू करने के पश्चात, परिगणित प्रब्याजि (Premium) पर शासकीय भूमि आबंटित की जायेगी।
- ब) उस क्षेत्र की असिंचित कृषि भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन दर (अथवा समीपस्थ क्षेत्र/गांव, यदि असिंचित कृषि भूमि दर उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है, जहां भूमि आबंटित की जाना है) को भूमि का मूल्य माना जायेगा।
- स) भूमि पर रियायत आवेदक के प्रकार, जिस उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया जाना है और आवंटन की शर्तों पर निर्भर होगी जो परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी।
- द) यदि भूमि का विकास शासन अथवा उसकी एजेन्सियों/प्राधिकरणों द्वारा किया गया है, तो विकास शुल्क अलग से लिया जायेगा और इनका निर्धारण उस प्राधिकरण/एजेन्सी द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसने विकास का खर्च उठाया है।

7.2.4 भू-आटक: इकाई द्वारा देय वास्तविक लीज प्रीमियम के 2% वार्षिक की दर से लिया जायेगा।

7.2.5 आबंटित की जा सकने वाली भूमि के निर्धारण के मापदण्ड :-

किसी इकाई को भूमि के आवंटन की पात्रता निम्नानुसार होगी:-

संक्र.	सेक्टर	रियायती दरों पर आवंटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र	रियायती दर पर आवंटित किया जा सकने वाला अधिकतम क्षेत्र
1.	सूचना प्रौद्योगिकी	*कोर ऑपरेशन्स में प्रति 100 लोगों को रोजगार पर 1 एकड़	25 एकड़
2.	सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ	*कोर ऑपरेशन्स में प्रति 150 लोगों को रोजगार पर 1 एकड़	
3.	ईएसडीएम	*कोर ऑपरेशन्स में प्रति 50 लोगों को रोजगार पर 1 एकड़	

*कोर ऑपरेशन्स से तात्पर्य इकाई की आर्थिक गतिविधि में नियोजित लोगों की संख्या से है, जिनमें वे लोग शामिल नहीं होंगे जो सहायक सेवाओं में लगे हैं, जैसे गार्ड, माली, वाहनचालक आदि।

7.2.6 भूमि की अवधि : - भूमि का आवंटन 99 वर्ष तक की अवधि के लिये किया जायेगा और इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा।

7.2.7 भूमि आवंटन की प्रक्रिया : - मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्राधिकृत एजेन्सी विभिन्न माध्यमों से लोगों को आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि की जानकारी उपलब्ध करायेगी, जिसमें वेबसाइट पर जानकारी डालना तथा समाचार पत्रों आदि में अधिसूचना शामिल हैं। आवंटन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्राधिकृत एजेन्सी (अथवा जिस प्राधिकरण की भूमि का आवंटन किया जाना हो) द्वारा पहले आये पहले पार्ये आधार पर किया जायेगा। आवंटन करने वाली एजेन्सी अपने स्व-विवेक से खुली नीलामी के जरिये किसी भी भूमि के आवंटन का निर्णय ले सकती है।

7.3 फ्लोर एरिया रेशिओ (एफएआर) में शिथिलता : - सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/ईएसडीएम इकाइयों तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र' के विकासकर्ता को 2.5 तक एफएआर अथवा उस क्षेत्र की विकास योजना के अनुसार अधिकतम अनुमेय एफएआर, जो भी अधिक हो, प्राप्त करने की अनुमति होगी। किसी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में, यदि विशिष्ट भूखंड को उपयोग किये जा सकने वाले क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र के 40% से अधिक क्षेत्र में गैर-सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग में रखा जाता है, तो उस भूखंड के लिये एफएआर विकास योजना के अनुसार उपलब्ध होगा।

7.4 सब-लीज : - आवंटिती को निर्भित क्षेत्र अथवा उपयोग की जा सकने वाली भूमि को आवंटन के समय निर्धारित गतिविधियों के लिये सब-लीज करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि वह, (यदि लागू हो तो) इस नीति के अनुसार न्यूनतम संख्या में लोगों को रोजगार देने की शर्त पूरी करता हो। इसके लिये निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी: -

- अ) इकाई/विकासकर्ता को आवंटन शर्तों के अनुसार सहायक इकाई/अन्य उद्योग/व्यावसायिक/आवासीय उपयोग के लिये उपलब्ध भूमि के हिस्से को सब-लीज/लायसेन्स पर देने की स्वतंत्रता होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटिती को सब-लीज की वित्तीय शर्तें तय करने की स्वतंत्रता होगी।
- ब) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं/अन्य उद्योग/ईएसडीएम गतिविधि के लिये उपयोग किये जाने वाले उपयोगार्थ भूमि/निर्भित क्षेत्र के हिस्से को सब-लीज करने के लिये, आवंटन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। आवंटन अधिकारी इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि सब-लीज, लीज की शर्तों के अनुसार है, आवेदक के आवेदन पर निर्णय लेकर उस लिये गये निर्णय की सूचना सब-लीज के लिये जमा किये गये आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर देगा।
- स) इकाई/विकासकर्ता द्वारा भूमि/निर्भित क्षेत्र सहायक उद्योग/व्यावसायिक/आवासीय उद्देश्यों के लिये सब-लीज तभी कर सकेगा, जब वह आवंटन अधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिये आवश्यक मात्रा में क्षेत्र (जो उपयोग के लिये तैयार स्थिति में हो) को भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार विकसित किया है। इस कंडिका (Clause) के उल्लंघन को लीज आवंटन निरस्त करने का पर्याप्त आधार माना जायेगा।

7.5 रहन : - इकाई को यह जमीन रहन (Mortgage) रखने की अनुमति होगी।

7.6 ब्याज अनुदान : -

पात्र इकाइयों को निम्नानुसार टर्म लोन पर ब्याज अनुदान की पात्रता होगी: -

इकाइयों के प्रकार	ब्याज अनुदान
सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा इकाई	<ul style="list-style-type: none"> • टर्म लोन के ब्याज पर अनुदान 5% अथवा वास्तविक दर, जो ऋणदाता द्वारा टर्मलोन पर लगाई गयी हो, जो भी कम हो, • इकाई द्वारा सात वर्ष की अवधि में प्रतिपूर्ति के

	<ul style="list-style-type: none"> रूप में अधिकतम रुपए 50 लाख की राशि प्राप्त की जा सकेगी। एक वर्ष में अधिकतम रुपये 12 लाख की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। यह प्रोत्साहन टर्म लोन के लिये है, जिसमें फॉरेन करेंसी टर्म लोन शामिल है।
ईएसडीएम इकाइयों के लिये रुपये 10 करोड़ तक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> दस करोड़ रुपए तक पर टर्म लोन के ब्याज पर 5% ब्याज अनुदान अथवा वास्तविक दर जो ऋणदाता द्वारा टर्म लोन पर लगायी गयी हो, जो भी कम हो। किसी वर्ष के लिये रुपये 50 लाख तक की अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक यह लाभ लिया जा सकता है। यह प्रोत्साहन टर्म लोन पर मिलेगा, जिसमें फॉरेन करेंसी टर्म लोन शामिल है।
ईएसडीएम इकाइयों के लिये रुपये 10 करोड़ से अधिक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> दस करोड़ से अधिक टर्म लोन की राशि पर 2% अथवा ऋणदाता द्वारा लगायी गयी वास्तविक दर, जो भी कम हो, ब्याज अनुदान दिया जायेगा। किसी इकाई को अधिकतम रुपए 3 करोड़ प्रतिवर्ष (टर्म लोन के रुपये 10 करोड़ से कम के भाग पर रुपये 50 लाख सहित) की पांच वर्ष तक प्रतिपूर्ति। यह प्रोत्साहन टर्मलोन के लिये है, जिसमें फॉरेन करेंसी टर्मलोन शामिल है।

7.7 पूँजी निवेश अनुदान : -

सिर्फ पात्र इकाइयों को निम्नानुसार सकल स्थाई पूँजी निवेश (GFCI) पर अनुदान दिया जायेगा: -

इकाइयों के प्रकार	पूँजी अनुदान
सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा	<ul style="list-style-type: none"> रुपए 2.5 करोड़ तक सकल स्थाई पूँजी निवेश (GFCI) का 10% पूँजी अनुदान, जिसकी सीमा रुपये 25 लाख होगी। 2.5 करोड़ के ऊपर सकल स्थाई पूँजी निवेश (GFCI) के लिए पूँजी अनुदान वृद्धिगत स्थाई पूँजी निवेश (GFCI) का $5\% + 2.5$ करोड़ तक के लिए 25 लाख। अधिकतम रुपये 50 लाख का पूँजी अनुदान दिया जा सकता है।

ईएसडीएम	<ul style="list-style-type: none"> • रुपये 10 करोड़ तक (GFCI) पर 10% पूँजी अनुदान, जिसकी सीमा रुपए 1 करोड़ होगी। • रुपये 10 करोड़ से अधिक (GFCI) पर पूँजी अनुदान वृद्धिगत (GFCI) का $5\% + 10$ करोड़ तक रुपये 1 करोड़ का अनुदान। • अधिकतम रुपये 25 करोड़ का पूँजी अनुदान दिया जा सकता है।
---------	---

जीएफसीआई की परिभाषा: प्रोत्साहनों के उद्देश्य से और उनकी प्रयोज्यता (applicability) के लिये जीएफसीआई से तात्पर्य है संयंत्र और मशीनरी, भवन और शेड्स पर किया गया सकल स्थाई पूँजी निवेश, परंतु इसमें भूमि और आवासीय इकाइयाँ शामिल नहीं होंगी।

7.8 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश संवर्धन सहायता :-

अ) सभी नयी सूचना प्रौद्योगिकी/ईएसडीएम इकाइयों को मूल्य संवर्धन कर (वेट) तथा केन्द्रीय विक्रय कर (कच्चे माल की खरीदी पर वैट की राशि छोड़ कर) भुगतान की गयी राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात् निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होगी:-

सं.क्र.	पात्र पूँजी निवेश	पात्रता	अधिकतम सीमा (जीएफसीआई के % में)
1.	रुपये 10 करोड़ तक	7 वर्ष तक 75%	200%
2.	रुपये 10 करोड़ से अधिक	10 वर्ष तक 75%	200%
3.	मोबाइल फोन/टेबलेट/ कम्प्यूटर मैन्युफेक्चरिंग यूनिट	10 वर्ष तक 75%	300%

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश संवर्धन सहायता की प्रतिपूर्ति इकाई को तिमाही आधार पर सीधे की जायेगी।

(ब) जीएसटी व्यवस्था में प्रतिपूर्ति :- जीएसटी व्यवस्था में, यह जब भी लागू हो, इकाई को विनिर्दिष्ट वस्तुओं के राज्य के भीतर विक्रय पर भुगतान किये गये एसजीएसटी की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो मध्यप्रदेश शासन के खजाने में वास्तविक रूप से जमा राशि, इनपुट क्रेडिट को घटाकर होगा। साथ ही, जीएसटी व्यवस्था में जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस दर पर होगी, जो विनिर्दिष्ट वस्तुओं के तत्समय प्रचलित मूल्य संवर्धित कर (अतिरिक्त कर छोड़कर) की दर से अधिक नहीं होगी।

7.9 स्किल गैप प्रशिक्षण पर प्रतिपूर्ति :-

सं.क्र.	स्किल गैप प्रशिक्षण पर प्रतिपूर्ति	पात्रता	सीमा
1.	प्रति कर्मचारी अधिकतम सीमा रूपये 10,000	वहन की गयी लागत का 50%	प्रति इकाई रूपये 1 करोड़

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी इंजीनियरों/आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम प्रोफेशनल्स को स्किल गैप प्रशिक्षण देने के लिये इकाई द्वारा अपने परिचालन प्रारम्भ करने के प्रथम दो वर्षों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों के लिये एक बार प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7.10 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर प्रोत्साहन :-

सं.क्र.	इकाई	पात्रता	अधिकतम राशि
1.	सीएमएम/सीएमएमआई/पीसीएमएम	लागत का 75%	रूपये 6 लाख
2.	आईएसओ 9001 अथवा समकक्ष/बेहतर प्रमाणीकरण	लागत का 50%	रूपये 1 लाख

यह प्रोत्साहन आवेदक इकाइयों को सिर्फ एक बार उपलब्ध होगा।

7.11 मुद्रांक शुल्क और पंजीयन प्रभारों में रियायत :-

- अ) शासकीय भूमि पर दी गयी लीज पर पात्र इकाइयों/विकासकर्ताओं को मुद्रांक शुल्क और पंजीयन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जावेगी। इस भूमि में विकास प्राधिकरणों, नगरीय निकायों, एकेव्हीएन आदि की भूमि शामिल हैं।
- ब) निजी भूमि पर विकसित सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा/ईएसडीएम इकाइयों को सिर्फ प्रथम बार मुद्रांक शुल्क और पंजीयन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
- स) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में किये गये मोर्टगेज/हाइपोथीकेशन पर देय मुद्रांक शुल्क और पंजीयन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7.12 संविधिक विनियमों से संबंधित प्रोत्साहन: -

सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित रियायतें प्राप्त होंगी: -

- (i) सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा/ईएसडीएम इकाइयों को मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के व्यवसाय के घंटों तथा साप्ताहिक अवकाश संबंधी प्रावधानों से अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर छूट दी जायेगी। महिला कर्मियों को 24 घंटे कार्य करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि नियोजक द्वारा महिला कर्मियों की सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर एवं परिवहन के दौरान सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी की जायें।
- (ii) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण इकाई में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को काम के घंटों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शिथिलता दी जायेगी। तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों में महिलायें 24 घंटे काम कर सकती हैं, बशर्ते कि नियोजक द्वारा महिला कर्मियों की सुरक्षा तथा कार्यस्थल पर एवं परिवहन के दौरान सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी की जायें।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में एक स्वतंत्र रोजगार के रूप में जोड़ा जायेगा, ताकि श्रमिकों का पृथक वर्गीकरण हो सके और उनकी योग्यता तथा कौशल स्तर के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सके।
- (iv) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वांछित अपनी पंजियों तथा प्रपत्रों का स्व-प्रमाणीकरण कर सकेंगी, जिसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, समाज पारिश्रमिक अधिनियम, जल एवं प्रदूषण अधिनियम, कर्मचारी विनिमय अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एवं विविध प्रावधान अधिनियम, संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम शामिल हैं। उन्हें विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न पंजियां संधारित करने की जगह एक ही एकीकृत पंजी तथा अभिलेख रखने की छूट होगी।

7.13 प्रवेश कर छूट :- प्रवेश कर से निम्नानुसार छूट दी जायेगी :-

सं.क्र.	इकाई का प्रकार	प्रवेश कर छूट +
1.	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम)	मध्यप्रदेश शासन की उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रावधानों के अनुसार

7.14 पेटेन्ट सहायता:- - पेटेन्ट फाइल करने के लिये निम्नानुसार सहायता उपलब्ध होगी :-

सं.क्र.	पेटेन्ट	पात्रता	सीमा
1.	घरेलू	50% सहायता, अधिकतम रूपये 2 लाख	रूपये 10 लाख प्रति इकाई
2.	अंतर्राष्ट्रीय	50% सहायता, अधिकतम रूपये 5 लाख	रूपये 25 लाख प्रति इकाई

7.15 विपणन में सहायता :-

- अ) सभी सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को अभिहित (designated) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/आयोजनों आदि में भाग लेने के लिये स्टाल के किराये पर 50% अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। इसकी अधिकतम सीमा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिये रूपये 2 लाख तथा राष्ट्रीय आयोजनों के लिए रूपये 1 लाख होगी। यह प्रोत्साहन इकाई को एक वितीय वर्ष में एक बार प्राप्त होगा।
- ब) औद्योगिक संघों को भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मध्यप्रदेश पवेलियन के रूप में भाग लेने के लिये 50% तक स्टाल किराया राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 10 लाख होगी। यह सहायता प्राप्त करने के लिये न्यूनतम पाँच औद्योगिक इकाइयों का समूह में शामिल होना आवश्यक होगा। सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी और संघ को इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेने के तीन माह के भीतर इसके लिये आवेदन करना होगा।

7.16 ऊर्जा संबंधित प्रोत्साहन :-

समय समय पर यथा संशोधित औद्योगिक संवर्धन नीति 2014 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

7.17 बीपीओ/बीपीएम इकाइयों के लिये विशेष पैकेज :-

यह अनुच्छेद सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा/बीपीओ/बीपीएम इकाइयों पर लागू होगा। पात्र इकाइयों या इस अनुच्छेद के अंतर्गत अथवा सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को मिलने वाले लाभों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए चुन सकती हैं। इस विशेष पैकेज के अंतर्गत लाभ लेने वाली इकाइयों को भूमि संबंधी लाभ, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन प्रभार प्रतिपूर्ति के अलावा इस नीति के किसी अन्य लाभ को

प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। इस कलॉज के अंतर्गत इन इकाइयों को उपलब्ध होने वाले लाभों का विवरण निम्नानुसार है : -

- अ) **बीपीओ/बीपीएम इकाई की स्थापना और प्रांती के समय एकमुश्त प्रोत्साहन :-**
बीपीओ/बीपीएम/ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा इकाइयों को निम्नानुसार निवेश संवर्धन अनुदान दिया जायेगा, जो वास्तविक पूँजी निवेश के 75% तक सीमित होगा:-

जहाँ इकाई की स्थापना है उस नगर/स्थानीय निकाय की आबादी	श्रेणी	प्रति सीट प्रोत्साहन (रुपये में)
>10 लाख	‘ए’	50,000
<10 से 1 लाख तक	‘बी’	56,000
<1 लाख	‘सी’	62,000

- ब) **परिचालनों (Operational) के लिये प्रोत्साहन :-**
बीपीओ/बीपीएम/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा इकाइयों को परिचालनों के लिये प्रोत्साहन निम्नानुसार उपलब्ध होंगे:-

जहाँ इकाई की स्थापना है उस नगर/स्थानीय निकाय की आबादी	श्रेणी	प्रति सीट प्रतिवर्ष प्रोत्साहन 4 वर्ष तक (रुपये में)
>10 लाख	‘ए’	7500
<10 से 1 लाख तक	‘बी’	11,000
<1 लाख	‘सी’	14,500

नोट:

1. जनसंख्या के लिये जनगणना 2011 के आँकड़े मान्य होंगे। नगर/स्थानीय निकाय में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिसूचित “नियोजन क्षेत्र” शामिल होगा।
2. नियोजित लोगों की संख्या सीटों की संख्या से कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिये।
8. नयी इकाइयों पर इस नीति की प्रयोज्यता :-
नयी इकाइयों को इस नीति के लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी, भले ही उनकी स्थापना किसी ऐसी कम्पनी द्वारा की गयी हो जिसने इस नीति के अंतर्गत पहले लाभ प्राप्त कर लिये हों।
9. इस नीति के अलावा अतिरिक्त लाभ/प्रोत्साहन सीसीआईपी के अनुमोदन के उपरांत प्रकरण वार दिये जा सकेंगे।
10. यह नीति वर्ष 2021 तक अथवा इसकी जगह नयी नीति की घोषणा होने तक लागू रहेगी। इस नीति के लागू हो जाने पर पूर्व नीति “मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (यथा संशोधित 2014) और मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेन्ट (बीपीओ/बीपीएम) उद्योग नीति 2014” को इस नीति में विलीन माना जायेगा और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। बहरहाल, उस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाली सभी इकाइयों को पुरानी नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलता रहेगा और उन इकाइयों के लिये नयी नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

परिशिष्ट-1

संक्र.	आवेदक का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि उपयोग का अनुपात आईटी/आईटीईएस/ ईएसडीएम	भूमि उपयोग की अनुमति एन्सीलरी/अन्व उद्योग/आवासीय	भूमि के मूल्य पर रियायत
1.	आईटी/आईटीईएस इकाई	विकसित भूमि और अविकसित भूमि	85%	15%	भैर-आईटी उद्देश्यों के लिये उपयोग (Usable)/भूमि/निर्मित क्षेत्र का 15% तक
2.	आईटी यूनिट/आईटीईएस	विकसित और अविकसित भूमि	60%	40%	भैर-आईटी उद्देश्यों के लिये उपयोग (Usable)/भूमि/निर्मित क्षेत्र का 40% तक
3.	ईएसडीएम इकाईया	विकसित भूमि और अविकसित भूमि	85%	15%	सिर्फ ईएसडीएम उद्देश्यों के लिये भूमि का उपयोग सब-तीज औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 के अनुसार 75%
	सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का विकास	अविकसित भूमि	85%	15%	उपयोग (Usable)/भूमि/निर्मित क्षेत्र का 85% सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा/ईएसडीएम इकाईयों को तथा शेष 15% सहायक गतिविधियों के लिये सब- लीज की जा सकती है।
	सूचना प्रौद्योगिकी की निवेश क्षेत्र का विकास	अविकसित भूमि	60%	40%	उपयोग (Usable)/भूमि/निर्मित क्षेत्र का 60% सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा इकाईयों को तथा शेष 40% सहायक गतिविधियों के लिये सब-तीज की जा सकती है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. 5-व.लि.-2-2017-74.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के पालन में, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश वर्ष 2017 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिए 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला (2)	अवकाश का दिनांक (3)	दिन (4)	पर्व (5)
1	शहडोल	14 मार्च 2017	मंगलवार	भाई दूज
2	शहडोल	25 अगस्त 2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
3	शहडोल	20 अक्टूबर 2017	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. बंधक श्रम-श्रपण-2016.—श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर का पत्र क्रमांक 2-2-आठ-बंधक-2004-244760-70, दिनांक 15 नवम्बर 2016 में दिये गये निर्देशानुसार, मैं, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खरगोन, जिला खरगोन में बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 उपधारा (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ:—

अनुसूची जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
1	खरगोन	(क) जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खरगोन (ख) पुलिस अधीक्षक (पुलिस), खरगोन	अध्यक्ष
		2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगोन	सदस्य
		3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, खरगोन	सदस्य
		4. महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक खरगोन	सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		1. श्रीमती रामलीबाई पति ताराचंद्र, ग्राम महूमाण्डली पोस्ट बिस्टान, तह. गोगांवा, जिला खरगोन (98267-77139)	सदस्य
		2. श्री केदार पिता चिड़ाभाई डावर, ग्राम सांगवी पोस्ट केली, तह. सेगांवा जिला खरगोन (94251-23855).	सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		1. श्रीमती अहिल्या पति दुलीचंद्र भोलेराव गुह निर्माण मण्डल कॉलोनी, बड़वाह तह. बड़वाह, जिला खरगोन (9826355661).	सदस्य
		(ड) सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री बाबुलाल महाजन, पूर्व विधायक, खरगोन	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

2. श्री आशुतोष पुरोहित,
रेडक्रास सोसायटी चेयरमेन, खरगोन.

सदस्य

(ए) वित्तीय साख संस्था

1. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,
मर्यादित खरगोन.

सदस्य

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	अनुविभाग का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
2	खरगोन	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरगोन 2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरगोन 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं. खरगोन 4. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा. यां. सेवा, खरगोन	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		1. श्री चंद्रसिंह वास्कले, ग्राम पिपलझोपा 2. श्री बापूसिंह परिहार, बृजविहार खरगोन	सदस्य सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		1. श्री रामेश्वर बड़ोले, बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन	सदस्य
		(ड) सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री कन्हैयालाल राठौर, 44 शिवशक्ति नगर खरगोन 2. श्री लक्ष्मण पिता प्यारेलाल, सेंगाव, जिला खरगोन.	सदस्य सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन.	सदस्य
		अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति	
क्र. (1)	अनुविभाग का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
3	भीकनगांव	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भीकनगांव 2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भीकनगांव 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं. भीकनगांव/झिरन्या 4. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा. यां. सेवा, भीकनगांव	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		1. श्री जयसिंह वारिया, भीकनगांव 2. श्री विजेन्द्र सिसौदिया, झिरन्या	सदस्य सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		1. श्री मेवालाल पिण्डे, भीकनगांव	सदस्य
		(ड) सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री विपदसिंह सोलंकी, भीकनगांव 2. श्री सुरेन्द्रसिंह पंवार, नुरियाखेड़ी तह. भीकनगांव, जिला खरगोन.	सदस्य सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भीकनगांव.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
क्र.	अनुविभाग का नाम	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
4	बड़वाह	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बड़वाह 2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बड़वाह 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं., बड़वाह 4. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा. यां. सेवा, महेश्वर	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		1. श्री कालूराम पिता गोविंद कनासे, ग्राम थरवर तह. बड़वाह जिला खरगोन (मो. नं. 9009923982).	सदस्य
		2. श्री सुरेश पिता शिवजी सोलंकी, ग्राम बैडिया तह. सनावद जिला खरगोन (मो. नं. 9826839030).	सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		1. श्री भागीरथ पिता छोगालाल भालेकर, ग्राम सालीखेड़ा तह. बड़वाह जिला खरगोन (मो. नं. 9977129149).	सदस्य
		(ड) सामाजिक कार्यकर्ता	
		1. श्री प्रणय पिता गंगाधर गावशिंदे 39, सीतलामाता बड़वाह जिला खरगोन (मो. नं. 9826500903).	सदस्य
		2. श्री भारतसिंह पिता पृथ्वीसिंह पंवार ग्राम बासवा, तह. सनावद, जिला खरगोन (मो. नं. 9977754479).	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, बड़वाह.	सदस्य
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति			
क्र.	अनुविभाग का नाम	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
5	कसरावद	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कसरावद 2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कसरावद 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं., कसरावद 4. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कसरावद	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		1. श्री रेमसिंह पिता मालसिंह चौहान, ग्राम भोपालपुरा, तह. कसरावद, जिला खरगोन.	सदस्य
		2. श्री राजेन्द्र पिता गोविंद, ग्राम सांगवी, तह. कसरावद, जिला खरगोन.	सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		1. श्री कालू पिता डालूराम ग्राम खामखेड़ा, तह. कसरावद, जिला खरगोन.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
1.		श्री प्रकाश पिता बाबुलाल रायली, कसरावद, जिला खरगोन.	सदस्य
2.		श्री महादेव पटेल, ग्राम बालसमुद, तह. कसरावद, जिला खरगोन.	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
1.		शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, कसरावद.	सदस्य

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	अनुविभाग का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
6	मण्डलेश्वर	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मण्डलेश्वर	अध्यक्ष
		2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डलेश्वर	सदस्य
		3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज. पं., महेश्वर	सदस्य
		4. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, महेश्वर	सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		3. श्री दिनेश पिता कालु चौहान, धरगांव, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (मो. नं. 9074737233).	सदस्य
		4. श्री कालूसिंह पिता बाबूसिंह रावत, आशापुर, तह. महेश्वर, जिला खरगोन.	
		(घ) अनुसूचित जाति	सदस्य
		2. श्री राकेश पिता मांगीलाल बर्मन, मुण्याखेड़ा, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (मो. नं. 7509233870).	
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		3. श्री कमलेश पिता सुदामा प्रसाद भावसार वृदावन कॉलोनी, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (मो. नं. 9425334018).	सदस्य
		4. श्री नरेन्द्र पिता शिवराम, एस.बी.आई. कियोस्क के पास, तह. महेश्वर, जिला खरगोन (मो. नं. 9575871947).	
		1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मण्डलेश्वर.	सदस्य

अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.), जिला मुरैना**

मुरैना, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. मण्डी-निर्वा.-अधिसूचना-2017-33.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति जौरा, जिला मुरैना के उप निर्वाचन 2017 में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है:—

क्र. (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	श्रीमती रामदेवी	अध्यक्ष	ग्राम चन्द्रपुरा, पोस्ट इटावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना.

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 10 जनवरी 2017

प्र. क्र. 06-अ-82-2015-16-भू-अर्जन-2016.—भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधनित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक-(2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर / ग्राम—सूडा धर्मपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—71.699 हेक्टर.

क्र.	कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकमा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्जना, मुन्नी हरभजन, प्रेमलाल तनय पुनुवा 1/2 हि. बृजलाल, मगना तनय खुमना, जशोदा पुत्री खुमना 1/2 हि. जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1089/1 1069 1070 1071 1075/1	0.158 0.040 0.049 0.020 0.081
		5	0.348
2	आशाराम तनय नने जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी बैनीबाई बेवा समचरन, मैदा पुत्री रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/9 भाग भूमि स्वामी सहोद्रा बाई पुत्री दमरू हि. 1/9 राधेलाल तनय देशराज लोधी हि. 1/9 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पूरन तनय मजू जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी.	1007	0.053
		1	0.053
3	ऊद्दी तनय खुरा जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	1412/1	0.700
		1	0.700
4	कामता, हरलाल, भैयालाल तनय लक्ष्मन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	910/2 910/1	0.040 0.100
		2	0.140
5	कूरा तनय घुरका जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1408 1407 1406	0.514 0.384 0.587
		3	1.485

(1)	(2)	(3)	(4)
6	कूरा 'मंजुवा तनय सरिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	68	0.069
		1	0.069
7	गुडडी बेवा मनमोहन, मुन्नी तनय मनमोहन, पूजा, प्रीति पुत्री मनमोहन, रामदास अच्छेलाल तनय प्यारेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी काशीबाई बेवा धनीराम छत्रपाल तनय धनीराम, रमा मिथला पुत्री धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1139	0.400
		1	0.400
8	घनश्याम तनय मुन्ना जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1386/4	1.214
		1	1.214
9	चउदा तनय बल्दुवा जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	1140/1	1.231
		1	1.231
10	जमनाबाई बेवा हरचरन, लटकन, लक्ष्मन तनय हरचरन प्रेमबाई, बेवा गोरेलाल बड़े चुन्याई तनय गोरेलाल 1/10 हि. प्रेमबाई बेवा भगवानदास 1/10 हि. आशाराम तनय नन्हे 1/5 हि. रामचरन तनय दमरू सहुद्राबाई, पूजाबाई पुत्री दमरू लोधी 1/5 हि. पूर्ण तनय गजू 1/5 हि. मनुवा तनय प्यारेलाल 1/5 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1040	0.016
		1	0.016
11	ठाकुरदास, भगवानदास, रामसहाय तनय भल्ली जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1140/क 1295/1	1.602 0.125
		2	1.727
12	दुमिया बेवा मनका हरीराम धर्मा, कोमल तनय मकान जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार.	1133	0.050
		1	0.050
13	तांतू तनय गनेशा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1211	0.080
		1	0.080
14	देशराज तनय गनपता जाति सौंर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/4	0.405
		1	0.405
15	दुर्गाप्रसाद तनय नथू जाति वैश्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/1	1.000
		1	1.000
16	नन्नेभैया, जशरथ तनय पुनुवा मु. जमना बाई बेवा पुनुवा, गिरजाबाई पुत्री पुनुवा जाति लोधी पता नि. लक्ष्मनपुरा भूमि स्वामी.	1039	0.121
		1	0.121

(1)	(2)	(3)	(4)
17	नथुवा तनय छुट्टा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1374/1/1 1	1.010 1.010
18	पप्पू तनय धर्मदास मैंदाबाई पुत्री धर्मदास, मुलुवा मुन्नी तनय गम्पा मु. च्यारीबाई बेवा गम्पा पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रामलाल त.नथुवा देवकिया बेवा नथुवा जाति चमार, पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	922 923 924 925 4	0.020 0.060 0.008 0.030 0.118
19	प्रेमनारायण तनय नथू जाति वैश्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/2 1	1.000 1.000
20	प्रेमबाई पत्नी हिमत राजबाई पत्नी लछमन कुसुम पुत्री परमलाल, चिरोंजाबाई पत्नी राधेलाल, फूलबाई पत्नी छोटेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी गजराज तनय सरमन, जालम, चिन्नामन तनय घनश्याम, रामबाई बेवा घनश्याम 1/9 हि. गौरिया पत्नी विन्द्रावन 1/9 हि. भगवत मज्जन, मुकेश, गुलाब तनय प्रेमलाल 5/54 हि. सावित्री बेवा प्रेमलाल देवका पुत्री प्रेमलाल, गन्सूबाई बेवा काशीराम 1/54 हि. बेटीबाई बेवा हरदास, राजाराम संतोष तनय हरदास, मानाबाई, राजाबेटी पुत्री हरदास 1/3 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	956 959 2	0.145 0.120 0.265
21	प्रेमबाई वि. गोरेलाल बड़े, चुन्ताई तनय गोरेलाल 1/4 हि. लक्ष्मण, लटकन, तनय हरचरन भूमि स्वामी मु. जमुनाबाई वि. हरचरन हि. 1/4 प्रेमबाई वि. कामता हि. 1/2 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1032 1033 2	0.081 0.093 0.174
22	च्यारेलाल तनय नथुवा जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	1113/3 1	0.391 0.391
23	परमा, हल्काई, किशोरी तनय हज्जू हि. 1/2 रघुवा तनय बौग जाति धोबी पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	1067 1068 1072 1073 1074/1 5	0.081 0.028 0.129 0.073 0.045 0.356
24	फुन्दी तनय कमला जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1388/3/1 1	0.500 0.500
25	बब्लू जमना तनय ग्यासिया हल्कीबाई बेवा ग्यासिया, मचला, पुष्पा पुत्री ग्यासिया, खौदा, छवकी तयन कलुवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	918 1	0.036 0.036

(1)	(2)	(3)	(4)
26	बल्ला तनय समवा 1/2 हि. जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, रासनाथ तनय पंकुवा जाति चमार पता निवासी ग्राम हि. 3/8 भाग भूमि स्वामी हल्के तनय पंकुवा जाति चमार पता नि. ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी.	919 926 2	0.024 0.015 0.039
27	भगवत, मुकेश, मज्जन, गुलाब तनय प्रेमलाल 5/6 हि. देवका पुत्री प्रेमलाल, सावित्री बेवा प्रेमलाल हि. 1/6 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1000	0.259
28	मंजुवा तनय सरिया जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	1416 1405 2	0.073 0.696 0.769
29	मुखरजी वि. कलुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1114/1 1	0.800 0.800
30	मुन्नी तनय गम्मा पुनिया पल्ली मुन्नी जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/ख/1 1	0.300 0.300
31	रघुवा तनय बौरा जाति धोबी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/1/क 1	0.900 0.900
32	राजाराम तनय करिया जाति नापित पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1113/5 1	0.675 0.675
33	राजू तनय बृजलाल जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1424/2/1 1	0.320 0.320
34	रामदीन तनय कमतुवा 1/8 हि. नारायनदास तनय विन्द्रावन 5/8 हि. दयाराम गोरेलाल विज्जू तनय लुट्टी 1/4 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	998 1	0.154 0.154
35	रामदीन तनय कमतुवा 1/8 हि, मनकू पलि कमतुवा 1/8 हि. बन्दू तनय परमा 1/2 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हिम्मत शंकर लक्ष्मन छोटेलाल राधे तनय देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी	957 958 1064 3	0.146 0.154 0.085 0.385
36	रामदीन तनय कमतुवा 1/8 हि. मनकू पुत्री कमतुवा 1/8 दयाराम, गोरेलाल, विज्जू तनय लुट्टी हि. 1/4 भूमि स्वामी हिम्मत, शंकर लक्ष्मन, राधे छोटेलाल तनय देशराज हि.	1052 1058 1059	0.190 0.028 0.214

(1)	(2)	(3)	(4)
	1/2 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1060 1061 1062 1063	0.239 0.036 0.045 0.049
		7	0.801
37	रामदीन तनय कमतुवा, मनकू पुत्री कमतुआ जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी, हिम्मत, शंकर लक्ष्मन राधे छोटेलाल तनय देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 5/6 भाग भूमि स्वामी	1124 1123	0.287 0.150
		2	0.437
38	रामदीन तनय कमतुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी मनकू पुत्री कमतुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/8 भाग भूमि स्वामी हिम्मत, शंकर, लक्ष्मन, राधे छोटेलाल तनय देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 3/4 भाग भूमि स्वामी	1066/1	1.133
		1	1.133
39	रामलाल त. जनुवा जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी देवालिया बेवा जनुवा जाति चमार पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी	920 924/1471	0.032 0.040
		2	0.072
40	लखन तनय लछुवा जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1387/2	0.964
		1	0.964
41	लखन तनय धर्मी लाडकुवर पत्ति दयाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66 69	0.097 0.061
		2	0.158
42	वीरसिंह तनय विन्द्रावन लोधी 1/2 हि. प्रेमबाई बेवा गोरेलाल बडे चुन्दाई तनय गोरेलाल 1/2 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1022	0.028
		1	0.028
43	श्रीमती इमरती बाई पत्ति धनप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी राजेश तनय गोवर्धन जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी राधेलाल तनय देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी	987/1 988/1 1003/2 1004/1 1006/1 1008/1 1009/1	0.036 0.087 0.089 0.075 0.100 0.119 0.107

(1)	(2)	(3)	(4)
44	श्रीमति केशरबाई पत्नि परमी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1038/1/1 1041/2/1 982/1 10	0.124 0.020 0.101 0.858
45	श्रीमति कुसुमबाई पत्नि चिन्तामन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1386/5 1	0.960 0.960
46	शिल्पू तनय हरिया जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1003/1 1004/2 2	0.089 0.075 0.164
47	शीलाबाई पत्नि गोविन्द जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1425/1/1 1	0.200 0.200
48	स्वामी तनय धर्मदास, करन तनय जानकी मु. राजाबाई बेवा जानकी हि. 2/27 गजराज त. सरमन मल्दी बेवा सरमन जालग चिंतामन त. धनश्याम राजाबाई बेवा धनश्याम श्याम मथरा त. हल्के हि. 1/9 भूमि स्वामी राजाराम संतोष त. हरदास बेटीबाई बेवा हरदास मानाबाई राजाबेटी पुत्री हरदास हि. 1/9 पूरन त0 गजा हि0 1/12 भगवतसिंह मज्जन, मुकेश, गुलाब त0 प्रेमलाल 5/36 हि. देवकी पुत्री प्रेमलाल सवित्री बेवा प्रेमलाल हि. 1/36 रामदीन त. कमतुआ मनकू देवकिया पुत्री कमतुआ 1/48 बल्दुचा त. परमा हि. 1/24 देशराज त. तिज्जू 1/3 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	991 1001 2	0.004 0.061 0.065
49	सीताराम तनय करिया जाति नापित पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1113/6 1	0.169 0.169
50	सुकका दयालू बिहारी तनय पूरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम हिस्सा बराबर भाग भूमि स्वामी	990 1002 1005 1010 1031 1036 6	0.032 0.073 0.267 0.198 0.065 0.259 0.894
51	छोटेलाल त. देशराज लोधी नि. ग्रामी भूमि स्वामी	996 1	0.162 0.162

(1)	(2)	(3)	(4)
52	सुखनन्दी तनय मठू जाति लोधी पता नि. रामनगर 1/2 भाग भूमि स्वामी बालकिशन तनय सुखनन्दी जाति लोधी पता नि. रामनगर 1/2 भाग भूमि स्वामी.	43 46 47 3	0.080 0.030 0.100 0.210
53	हरचरन, प्रभू तनय कुन्जी बौरा तनय मुलुवा जाति बाढ़ई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	940 943 945 3	0.093 0.028 0.129 0.250
54	हरबूबाई बेवा तातू वृजलाल त. तांतू जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1203 1204 1210 3	0.130 0.260 0.125 0.515
55	हिम्मत, शंकर, लक्ष्मन, राधे, छोटेलाल तनय देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1037 1051 1065 3	0.170 0.206 0.093 0.469
56	आशाराम तनय नने जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	987/2 988/2 1006/2 1008/2 1009/2 1038/2/1 1041/1/1 982/2 8	0.037 0.087 0.100 0.120 0.107 0.124 0.021 0.101 0.697
57	चत्तू तनय भन्ता बिनिया पति चत्तू चमार पता नि. ग्राम शास. पट्टेदार.	1387/1 1	0.550 0.550
58	देशराज, अच्छेलाल, हरदास तनय गनपत जाति सौर पता नि. ग्राम हि. 3/15 भाग भूमि स्वामी, भगवानदास, तुलसिया तनय जसरथ जाति सौर पता निवासी ग्राम हि. 1/15 भाग भूमि स्वामी दुर्जी उर्फ ललती बेवा मोहन, राजू, फूलसिंह तनय मोहन हि. 3/9 रामसींग, दलुवा तनय हरलाल जाति सौर पता निवासी ग्राम हि. 6/9 भाग भूमि स्वामी उमरऊवा तनय जगुवा जाति सौर पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी बैनीबाई बेवा मोहन जाति सौर पता निवासी ग्राम हि. 1/15 भाग भूमि स्वामी.	1418 1419 1420 1421 1431 1432 6	0.510 0.081 0.336 0.312 0.534 0.299 2.072

(1)	(2)	(3)	(4)
59	देशराज तनय तिजू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.19	949 950 951 952 953 954 955 993 999/1483 9	0.611 0.231 0.125 1.060 0.024 0.129 0.166 0.036 0.308 2.690
60	नंदलाल, प्योरेलाल तनय भरोसा जाति बाढ़ई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	939 942 2	0.097 0.150 0.247
61	पुनिया, रमकू, जानकी पुत्री हीरालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम 4/15 भाग भूमि स्वामी मु. सुगरदुलैया बेवा अर्जना जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/15 भाग भूमि स्वामी मन्जुआ त. सरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी कूरा त. सरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.	1404 1402 2	0.376 0.450 0.826
62	बाबू तनय भैरा 1/2 हि. ठाकुरदास, भगवानदास, रामसहाय तनय भल्ली जाति लोधी निवासी ग्रामी हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी.	1286 1286/1489 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 10	0.259 0.190 0.162 0.174 0.028 0.449 0.134 0.085 0.287 0.287 2.055
63	वृजलाल, अर्जन तनय हल्कू जाति लोधी पता नि. ग्राम हि. 2/3 भाग भूमि स्वामी नारायण, हीरालाल तनय मोतीलाल जाति लोधी निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व.	852 853 854 855 858 859 861 7	0.040 0.210 0.061 0.607 0.190 0.097 0.220 1.425

(1)	(2)	(3)	(4)
64	मौनलाल, ठाकुरदास, राजाराम, हरिकिशन त. विन्दा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. मुलिया बेवा विन्दा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	847 848 856 857 860 1131 1132	0.079 0.068 0.690 0.219 0.372 0.020 0.089
		7	1.537
65	मीराबाई पत्नि नारायण सुशीला पत्नि जालम कुसुम पत्नि चिन्तामन 1/3 हि. गजराज तनय सरमन जालम चिन्तामन तनय घनश्याम रामबाई बेवा घनश्याम 1/9 हि. भगवत मज्जन मुकेश गुलाब तनय प्रेमलाल हि. 5/54 सावित्री बेवा प्रेमलाल देवका पुत्री प्रेमलाल 1/56 हि. बेटीबाई बेवा हरदास मनबाई राजाबेटी पुत्री हरदास संतोष राजाराम तनय हरदास 1/3 हि. जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी.	989 992 994 995 997 999 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019	0.129 0.073 0.615 0.028 0.251 0.312 0.193 0.316 0.372 0.344 0.065 0.004 0.510 0.020 0.178
		15	3.410
66	राजाराम, संतोष तनय हरदास जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मु. बेटीबाई बेवा हरदास जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मानबाई, राजाबेटी पुत्री हरदास जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	983 980 981 986	0.008 0.020 0.020 0.227
		4	0.275
67	लटकन, लक्ष्मन तनय हरचरन मु. जमनाबाई बेवा हरचरन 1/2 हि. प्रेमबाई बेवा गोरेलाल बडे चुन्ताई तनय गोरेलाल 1/2 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1020 1021 1023 1028 1029 1030 1032/1484 1034 1035 1128 1129	0.081 0.028 0.020 0.061 0.057 0.113 0.081 0.028 0.105 0.020 0.065
		11	0.659

(1)	(2)	(3)	(4)
68	स्वामी तनय धर्मदास हि. 1/2 करन तनय जानकी राजाबाई बेवा जानकी हि. 1/2 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1308 1311 1312 1313 1330 1324 1345	0.559 0.008 0.460 0.460 0.053 0.420 0.180
		7	2.140
69	सूका, घनश्याम तनय भूना जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/3 भाग भूमि स्वामी गोविन्ददास तनय दमरा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/6 भाग भूमि स्वामी मुखरगी बेवा धर्मा, दयाराम लखन तनय धर्मा जाति लोधी पता निवासी ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी	912 912/1490 913 914 916 917 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873	0.093 0.231 0.073 0.130 0.100 0.073 0.020 0.078 0.050 0.050 0.120 0.138 0.085 0.008 0.032 0.120 0.057 0.010
		18	1.468
70	हरचरन, प्रभू तनय कुन्जी बौरा तनय मुलुवा 1/2 हि. नन्दलाल प्यारेलाल तनय भरोसा 1/2 जाति बाढ़ई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	936 938 941 944 946 1307 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323	0.150 0.020 0.020 0.012 0.065 0.328 0.146 0.113 0.012 0.259 0.142 0.117 0.190 0.563 0.279 0.081
		16	2.497

(1)	(2)	(3)	(4)
71	प्यारेलाल तनय नथुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी जुगनू ननीबैन पुत्री नथुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	921	0.045
		1	0.045
72	पानबाई, दस्सू मालतीबाई पुत्री रिल्ली जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	844	0.020
		1	0.020
73	मु. पुनिया बेवा दयालू लक्ष्मन तनय दयालू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.67	1454/1	1.500
		1	1.500
74	लक्ष्मन तनय दयालू जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.20	1454/2	0.135
		1	0.135
75	दुरजुवा, हल्के तनय लछुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.81	1456	1.513
		1	1.513
76	पुनिया, रमकू, जानकी, पुत्री हीरालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00	1457/1	1.079
		1	1.079
77	हरिया तनय सल्ला 1/2 हि. सवोदा पुत्री सल्ला 1/2 हि. जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.75	1457/2	2.023
		1	2.023
78	खिल्लू तनय वृजलाल जाति अहिरवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.12	1457/क.	0.598
		1	0.598
79	कल्लू पुत्री नना जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.59	1443 1447 1444 3	0.161 0.413 0.404 0.978
80	जालम, चिन्तामन तनय घनश्याम मु. श्यामबाई बेवा घनश्याम 1/2 हि. गजराज तनय सरमन 1/2 हि. जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.000	1384/2	0.346
		1	0.346
81	पपू तनय धर्मदास मैदा पुत्री धर्मदास जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.85	1083/2/1	0.500
		1	0.500
82	सरजू पत्नि कामता जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00	1438/1 1438/2 2	1.000 1.000 2.000

(1)	(2)	(3)	(4)
83	भगवत, मुकेश, मज्जन, गुलाब तनय प्रेमलाल, 5/6 हि. देवका पुत्री प्रेमलाल, सावित्री बेवा प्रेमलाल हि. 1/6 जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.87	1440	0.967
		1	0.967
84	गायत्री पत्नि विन्द्रावन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.10	1386/2	2.023
		1	2.023
85	मु. भूरिया बेवा दलपतिया चिन्तू हरिण प्रेम गौना पुत्री दलपतिया जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.000	1374/2/1	0.778
		1.00	0.778
86	नारायण, हीरालाल तनय मोतीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.10	1386/2/क	0.600
		1	0.600
87	मु. पानबाई बेवा ग्यादीन सविता पुत्री दुरजू लोदी परमी रामगोपाल तनय ग्यादीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.95	1386/1/ग	1.214
		1	1.214
88	चरन, दौलत तह. पुन्ना मु. अन्तौरावारी बेवा पुन्ना जाति सौंर भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.56	1301 1386/1/2/क	0.704 1.000
		2	1.704
89	श्रीमती सविता पत्नि मनमोहन जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.48	1092/1	0.200
		1	0.200
90	मुनी तनय गम्पा पुनिया पत्नि मुनी जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1092/2	0.200
		1	0.200
91	कमला तनय उमरवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.45	1386/2/2क	2.023
		1	2.023
92	रिकार्ड सुधार का प्रकरण विचाराधीन	1142 1143 1145 3	0.725 0.080 0.290 1.095
		योग . .	260 71.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—बानसुजारा परियोजना ढूब क्षेत्र।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 10829-भू-अर्जन-2017

राजगढ़, दिनांक 12 जनवरी 2017

/भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/...../..... -201 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मालीपुरा सिंचाई परियोजना के निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मालीपुरा तालाब के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि इस लघु सिंचाई परियोजना में प्रभावित व्याकित्यों के विस्थापन एवं पुनर्वासन की आवश्यकता न होने के कारण सामाजिक समाधार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

:- अनुसूची (1) :-

मालीपुरा सिंचाई परियोजना के बांध, वेस्टवियर एवं ड्रुब क्षेत्र में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मालीपुरा	4.471	1.456	5.927
2	विरेन्द्रपुरा	0.063	4.836	4.899
3	सरेडी	7.966	13.180	21.146
	योग	12.500	19.472	31.972

:- अनुसूची (2):-

(1) मालीपुरा तलाब के निर्माण में बांध, वेस्टवियर एवं ड्रुब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम मालीपुरा

स.क्र.	भू-स्वामित्वधारी का नाम	सर्व नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल प्रभावित भूमि (हेक्टर में)		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	फृतसिंह पिता जालम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	3/4	2.529	0.710	0.000	0.710
	योग:-	1	2.529	0.710	0.000	0.710
2	देव जी पिता बाग जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	3/5/1	3.179	0.260	0.000	0.260
		3/5/2	0.614	0.300	0.000	0.300
	योग:-	2	3.793	0.560	0.000	0.560
3	भगवान सिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	3/6/1/1	1.245	0.725	0.000	0.725
	मांगीलाल पिता भंवरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	3/6/1/2	2.053	1.230	0.000	1.230
	योग:-	2	3.298	1.96	0.00	1.96
4	रामसिंह पिता जालम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	3/7	2.529	0.126	0.000	0.126
	योग:-	1	2.529	0.126	0.000	0.126

5	रुगनाथ, बनेसिंह, कालू प्रेमसिंह पिता किशनलाल, भंवरी बाई धापूबाई पूत्री किशन केमेरसिंह, शेतानबाई सम्पतबाई पुत्री बाबूलाल केशरबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	22/5	3.035	0.000	0.051	0.051
	योग:-	1	3.035	0.000	0.051	0.051
6	बनेसिंह पिता छीतर जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	22/2	1.467	0.000	0.345	0.345
	योग:-	1	1.467	0.000	0.345	0.345
7	कुमेरसिंह, सम्पतबाई, शान्तीबाई पिता बापूलाल मु. केशरबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	22/3	2.908	0.000	0.900	0.900
	योग:-	1	2.908	0.000	0.900	0.900
8	गेन्दीबाई पुत्री देवजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	22/4	3.724	1.120	0.160	1.280
	योग:-	1	3.724	1.120	0.160	1.280
	महायोग :-	10	23.283	4.471	1.456	5.927

(1) मालीपुरा तलाब के निर्माण में बांध, वेस्टर्नियर एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव ग्राम विरेन्द्रपुरा

1	भंवरलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम फूलखेड़ी भू—स्वामी	216/4	1.341	0.000	0.025	0.025
	योग:-	1	1.341	0.000	0.025	0.025
2	बनेसिंह पिता लक्षण जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	217/1	2.023	0.000	1.770	1.770
	योग:-	1	2.023	0.000	1.770	1.770
3	कालू पिता रोड जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	217/2	2.023	0.000	0.758	0.758
	योग:-	1	2.023	0.000	0.758	0.758
4	पूरा, अनार, कंकूबाई, सरदार बाई पिता नाथू भूलीबाई बेवा नाथ जाति चमार नि. ग्राम फूलखेड़ी भू—स्वामी	217/4 218/11	1.341 0.253	0.000 0.063	0.304 0.000	0.304 0.063
	योग:-	2	1.594	0.063	0.304	0.367
5	अभयसिंह पिता लक्षण, अभयसिंह पिता लक्षण,	217/6/1 217/6/2	1.011 0.506	0.000 0.000	0.395 0.111	0.395 0.111
	योग:-	2	1.517	0.000	0.506	0.506
6	मांगीलाल पिता मंगाराम जाति गर्जर नि. ग्राम मोतीपुरा भूमि स्वामी	217/3/1 217/2 मे से	1.011 1.265	0.000 0.000	0.360 1.075	0.360 1.075
	योग:-	2	2.276	0.000	1.435	1.435
7	प्यारजी पिता लक्षण जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	218/2	0.506	0.000	0.013	0.013
	योग:-	1	0.506	0.000	0.013	0.013
8	कनीराम पिता हीरा जाति चमार नि. ग्राम सरेड़ी भूमि स्वामी	219/2	1.983	0.000	0.025	0.025
	योग:-	1	1.983	0.000	0.025	0.025
	महायोग :-	11	13.263	0.063	4.836	4.899

(3) मालीपुरा तलाब के निर्माण में बांध, वेस्टडियर एवं डूब क्षेत्र में प्रगति भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम सरेझी

1	सूल्तान सिंह अशोक, सत्यनारायण, सुमेर पिता दोलजी कलाबाई बेवा दोलजी, लक्ष्मीनारायण हीरालाल पिता मांगीलाल गीताबाई, सम्मतबाई, कंचनबाई पुत्रिया मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	29	0.063	0.000	0.000	0.000
	योग:-		1	0.063	0.000	0.000	0.000
2	सूल्तान पिता दोलजी कलमलबाई बेवा दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	✓	30/1/1	0.014	0.014	0.000	0.014
	योग:-		1	0.014	0.014	0.000	0.014
3	सत्यनारायण पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	30/1/2	0.014	0.014	0.000	0.014
	योग:-		1	0.014	0.014	0.000	0.014
4	अशोक पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	30/1/3	0.013	0.013	0.000	0.013
	योग:-		1	0.013	0.013	0.000	0.013
5	सुमेरसिंह पिता दोल जी जोति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	30/1/4	0.013	0.013	0.000	0.013
	योग:-		1	0.013	0.013	0.000	0.013
6	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	30/2	0.055	0.055	0.000	0.055
	योग:-		3	0.055	0.055	0.000	0.055
7	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	30/3	0.055	0.055	0.000	0.055
	योग:-		1	0.055	0.055	0.000	0.055
8	सूल्तान पिता दोलजी कलमलबाई बेवा दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	✓	31/1/1	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-		1	0.023	0.023	0.000	0.023
9	सत्यनारायण पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	31/1/2	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-		1	0.023	0.023	0.000	0.023
10	अशोक पिता दोल जी जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	31/1/3	0.024	0.024	0.000	0.024
	योग:-		1	0.024	0.024	0.000	0.024
11	सुमेरसिंह पिता दोल जी जोति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	31/1/4	0.023	0.023	0.000	0.023
	योग:-		1	0.023	0.023	0.000	0.023
12	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	31/2	0.094	0.094	0.000	0.094
	योग:-		1	0.094	0.094	0.000	0.094
13	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	31/3	0.094	0.094	0.000	0.094
	योग:-		1	0.094	0.094	0.000	0.094
14	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी	✓	32/2	0.109	0.000	0.009	0.009
	योग:-		1	0.109	0.000	0.009	0.009

15	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	32/3	0.110	0.000	0.010	0.010
	योग:-	1	0.110	0.000	0.010	0.010
16	हीरालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	37/2	0.603	0.350	0.000	0.350
		36/2	1.479	0.000	0.125	0.125
	योग:-	1	0.603	0.350	0.000	0.350
17	लक्ष्मीनारायण पिता मांग्या जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	37/3	0.602	0.235	0.000	0.235
		36/3	1.472	0.000	0.025	0.025
	योग:-	2	2.074	0.235	0.025	0.260
18	बीरमसिंह मांगीबाई पिता रामलाल गेन्डीबाई बेवा रामलाल हि.25 पेसा धीसा दव्या झब्बा रत्न मोउसिंह पिता किशनलाल हि.25 पेसा बालु कालु प्रेमबाई शातिबाई पिता रुग्नाथ भूंगीबाई बेवा कनीराम हि. 25 पैसा भरुसिंह पिता बदन जी हि. 25 पैसा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	39	1.846	0.000	0.126	0.126
	योग:-	1	1.846	0.000	0.126	0.126
19	लाल जी पिता देवीलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू— स्वामी	40/1/1/1	0.948	0.000	0.380	0.380
	योग:-	1	0.948	0.000	0.380	0.380
20	फर्तेसिंह, मेहताबसिंह, प्रेमसिंह पिता रोड जी जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू— स्वामी	40/4/1	2.530	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	2.530	0.000	0.759	0.759
21	रामलाल पिता केशरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्रा. भू— स्वामी	40/4/2	1.264	0.000	0.272	0.272
	योग:-	1	1.264	0.000	0.272	0.272
22	देवसिंह पिता फर्तेसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	40/6/1/2	0.836	0.000	0.077	0.077
	योग:-	1	0.836	0.000	0.077	0.077
23	शेतानबाई पति देवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	40/6/1/3	0.506	0.506	0.000	0.506
		42/2	0.949	0.549	0.400	0.949
	योग:-	2	1.455	1.055	0.400	1.455
24	भारतसिंह पिता नाथू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू —स्वामी	42/1/1	1.681	0.000	1.656	1.656
	योग:-	1	1.681	0.000	1.656	1.656
25	लक्ष्मीनारायण पिता धीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	42/1/2	1.758	0.000	1.733	1.733
	योग:-	1	1.758	0.000	1.733	1.733
26	कुमेरसिंह पिता धीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू— स्वामी	42/1/3	1.758	0.000	1.733	1.733
	योग:-	1	1.758	0.000	1.733	1.733
27	मांगीलाल पिता बापूलाल जाति खाटी नि. ग्राम भू— स्वामी	40/6/1/1	0.428	0.428	0.000	0.428
	योग:-	1	0.428	0.428	0.000	0.428

28	देवीसिंह पिता मांगीलाल सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/3/2/1	0.591	0.000	0.250	0.250
	योग:-		1	0.591	0.000	0.250	0.250
29	गोरीलाल पिता मांगीलाल सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/3/2/2	0.590	0.000	0.250	0.250
	योग:-		1	0.590	0.000	0.250	0.250
30	बनेसिंह पिता मांगीलाल सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/3/2/3	0.590	0.000	0.250	0.250
	योग:-		1	0.590	0.000	0.250	0.250
31	मांगीलाल पिता झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/1	0.633	0.500	0.133	0.633
	योग:-		1	0.633	0.500	0.133	0.633
32	बनेसिंह झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/2	0.632	0.500	0.132	0.632
	योग:-		1	0.632	0.500	0.132	0.632
33	नारायणसिंह झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/3	0.638	0.500	0.138	0.638
	योग:-		1	0.638	0.500	0.138	0.638
34	हरिसिंह पिता झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/4	0.641	0.500	0.141	0.641
	योग:-		1	0.641	0.500	0.141	0.641
35	भगवानसिंह झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/5	0.625	0.500	0.125	0.625
	योग:-		1	0.625	0.500	0.125	0.625
36	राधेश्याम झब्बा जी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/4/6	0.625	0.500	0.125	0.625
	योग:-		1	0.625	0.500	0.125	0.625
37	लक्ष्मण सिंह पिता प्रभुनाथ सिंह जाति राजपूत नि. राजगढ़ भू—स्वामी	✓	44/3/1/1	1.666	1.000	0.000	1.000
	योग:-		1	1.666	1.000	0.000	1.000
38	कैलाश पिता गोरीलाल गायत्री बाई ना.बा. दुर्गेश ना.बा. पिता धीसालाल सर.पर.भैंवरीबाई बेवा धीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/3/1/2	0.357	0.000	0.357	0.357
	योग:-		1	0.357	0.000	0.357	0.357
39	नवनीत प्रसाद, मुकेश कान्ताबाई पिता शिवनारायण गीताबाई बेवा शिवनारायण जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/5/1	0.948	0.500	0.000	0.500
	योग:-		1	0.948	0.500	0.000	0.500
40	दुर्गाप्रसाद पिता कंवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/5/2	0.948	0.000	0.063	0.063
	योग:-		1	0.948	0.000	0.063	0.063
41	कैलाश शर्मा पिता कंवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू—स्वामी	✓	44/5/3	0.948	0.000	0.063	0.063
	योग:-		1	0.948	0.000	0.063	0.063

42	यादवप्रसाद पिता कैवरलाल जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 44/5/4	0.949	0.253	0.000	0.253
	योग:-	1	0.949	0.253	0.000	0.253
43	गुडडीबाई पति यादवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 44/2	1.265	0.700	0.565	1.265
	योग:-	1	1.265	0.700	0.565	1.265
44	धीरपसिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 45/6/1	1.897	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	1.897	0.000	0.759	0.759
45	भैंवरीबाई बेवा धीसालाल जाति सौंधिया नि. ग्राम —स्वामी	✓ 45/6/2	1.897	0.000	0.759	0.759
	योग:-	1	1.897	0.000	0.759	0.759
46	मावसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 45/4/3/2	0.759	0.000	0.125	0.125
	योग:-	1	0.759	0.000	0.125	0.125
47	मांगीलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 45/4/3/3	0.759	0.000	0.125	0.125
	योग:-	1	0.759	0.000	0.125	0.125
48	संदीप सोनी पिता वैदप्रकाश सोनी जाति सूनार नि. राजगढ़	✓ 45/4/4/1	0.895	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	0.895	0.000	0.250	0.250
49	देवसिंह पिता हीरालाल जाति कुमार नि. ग्राम भू—स्वामी	✓ 45/4/2	1.581	0.000	0.250	0.250
	योग:-	1	1.581	0.000	0.250	0.250
50	कमलाबाई बेवा कैवरलाल अनीताबाई पति राजू जाति सौंधिया नि. ग्राम तलाईखेड़ा	✓ 47/4	5.059	0.000	0.500	0.500
	योग:-	1	5.059	0.000	0.500	0.500
51	व्यार जी पिता मोटीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम मालीपुरा भू—स्वामी	✓ 49/2	4.528	0.00	0.640	0.640
	योग:-	1	4.528	0.00	0.640	0.640
	महायोग :-	55	47.929	7.966	13.180	21.146
	1 ग्राम मालीपुरा, 2 विरेन्द्रपुरा, 3 सरेझी की भूमि का महायोग	76	84.475	12.500	19.472	31.972

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू—अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10830भू-अर्जन-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम राजपुरा के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - राजपुरा		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	8.815	5.282
	योग	8.815	5.282

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	बालूसिंह भगवानसिंह बीरमसिंह मांगु गीता कृष्णाबाई पिता परथी सिंह पूरसिंह हरिसिंह चतरू बाई शांति बाई पिता अनार सिंह मु० सरदार बाई बैवा अनार सिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि खामी नारायण सिंह नवल सिंह मांगीलाल माधु ललता बाई पिता रामलाल हिस्सा 1/4 जाति सौधिया भूमि खामी मनोहर सिंह दलीपसिंह कालू सिंह रेखाबाई संजु बाई बबली बाई पिता गब्बा धनसिंह कनीराम सौरभ बाई पिता देवीसिंह बदनबाई बैवा देवीसिंह हिस्सा 1/4 जाति सौधिया निवासी ग्राम पिपल्यामोची भूमि खामी	2	0.166	0.166
		3	0.061	0.061
		4/1	0.988	0.200
		4/2		
		5	0.291	0.271
	योग		1.506	0.698

१	गोपीलाल प्रेमसिंह दुलेसिंह पिता: भैरूसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	6/1	0.190	0.140
		7	0.024	0.024
		9/4	1.453	0.400
		29/2	0.243	0.170
		योग	1.910	0.734
३	बालुसिंह भगवानसिंह बीरम सिंह मांगबाई गीताबाई कृष्णबाई पिता परथी सिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	6/2	0.304	0.254
		योग	0.304	0.254
		8	1.809	1.809
४	हरिसिंह पिता पूर्सिंह धीरप सिंह पिता अनार सिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	23	2.149	0.650
		योग	3.958	2.459
		9/1	0.631	0.631
५	कमलसिंह पिता बनेसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	योग	0.631	0.631
		9/2/1	0.168	0.168
		योग	0.168	0.168
६	भगवान सिंह पिता मदन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	9/2/2	0.169	0.169
		योग	0.169	0.169
		9/2/3	0.169	0.169
७	सुल्तान सिंह पिता मदन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	योग	0.169	0.169
		महायोग	8.815	5.282
८	नरभै सिंह पिता मदन सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम पीपल्यामोची भूमि स्वामी	योग	0.169	0.169
		महायोग	8.815	5.282

नोट — भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू — अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 10831-भू-अर्जन-2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम बुढ़नपुर के लिये ढूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - बुढ़नपुर		तहसील - सारंगपुर		जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर		
		कुल रकबा	अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	56.785	44.943	
	योग	56.785	44.943	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	नारायणसिंह पीरसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भभि स्वामी	322/9	2.529	2.529
		327/1	1.962	1.962
		327/2	0.447	0.447
		328	0.179	0.179
		329	5.117	5.117
		योग		
2	दरियावसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भभि स्वामी	322/10/1	1.265	1.265
		322/11/1	0.506	0.506
		योग	1.771	1.771
3	गोपालसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भभि स्वामी	322/10/2	1.264	1.264
		योग	1.264	1.264

4	कालू पिता मोतीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/1	0.442	0.200
		330/1	0.797	0.797
		334/1		
		333	0.507	0.507
		335/1		
	योग		1.746	1.504
5	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/2	0.442	0.200
		330/2	0.797	0.797
		334/2		
		333/2	0.505	0.505
		335/2		
	योग		1.744	1.502
6	कॅवरलाल पिता गंगाराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/3	0.222	0.150
		330/3	0.398	0.398
		334/3		
		333/3	0.253	0.253
		335/3		
	योग		0.873	0.801
7	भेरुलाल पिता गंगाराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	326/4	0.221	0.150
		330/4	0.399	0.399
		334/4		
	योग		0.620	0.549
	नारायण पिता अमरा जाति चमार	331	0.733	0.733
	योग		0.733	0.733
8	राजबूराई पिता पन्नालाल जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/1	0.027	0.027
			0.027	0.027
	योग		0.027	0.027
	होकम बाई पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/2	0.027	0.027
			0.027	0.027
9	रुगनाथ सिह पिता धनसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/3	0.028	0.028
			0.028	0.028
	योग		0.028	0.028
	भगवानसिंह पिता धनसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/4	0.028	0.028
			0.028	0.028
10	प्रेमकबाई पति ईश्वर सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/5	0.028	0.028
			0.028	0.028
	योग		0.028	0.028
	प्रेमकबाई पति ईश्वर सिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी			
			0.028	0.028

14	भैरूसिंह कालूसिंह विक्रमसिंह पिता देवसिंह देवबाई बेवा देवीसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	336	1.137	1.137
		337	0.571	0.571
		339	0.202	0.202
		योग	1.910	1.910
15	कालू भगवानसिंह पिता गंगाराम अनोखबाई बेवा गंगाराम जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/1	0.091	0.091
		341/1	0.214	0.214
		342		
		343/1/1		
		341/2	0.213	0.213
		342		
		343/1/2		
		343/2/1	0.671	0.671
		322/5/2		
		352/1	0.088	0.088
		योग	1.277	1.277
16	भारतसिंह शंभुसिंह पिता रामसिंह जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	338/2	0.091	0.091
		341/3	0.214	0.214
		343/1/2		
		341/6	0.213	0.213
		343/1/6		
		343/2/2	0.671	0.671
		322/5/12		
		352/2	0.088	0.088
		योग	1.277	1.277
		इंदरसिंह पिता भंवरलाल जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	341/4 343/1/3 341/8 343/1 342 343/2/4 322/5/12/4 352/4	0.213 0.427 0.671 0.088
17	बालूसिंह पबनसिंह पिता देवीसिंह जाति नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	योग	1.399	1.399
		341/5 343/1/5 342	0.214	0.214
		343/2/3	0.671	0.671
		322/5/12		
18				

		352/3	0.088	0.088
	योग		0.973	0.973
19	बापूलाल पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	344/2	0.822	0.822
	योग		0.822	0.822
20	ईश्वरसिंह पिता कालूसिंह नामोसरो माता गीताबाई पति कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	349	0.733	0.733
	योग		0.733	0.733
21	भेरसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	350/1	0.274	0.274
		322/16/2/1	0.632	0.632
		452/5	1.267	1.267
	योग		2.173	2.173
22	ईश्वरसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	350/2	0.274	0.274
		322/16/1/2	1.151	1.151
	योग		1.425	1.425
23	देवीसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	350/3	0.274	0.274
	योग		0.274	0.274
24	बबीताबाई पिता दूलेसिंह पति ईश्वर सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भमि स्वामी	351	0.227	0.227
	योग		0.227	0.227
25	भंवरलाल पिता बापूलाल द्येपती बाई पति बापूलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354	0.291	0.291
	योग		0.291	0.291
26	विक्रमसिंह पिता कालू सिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	355/1	0.215	0.215
		356/1	0.069	0.069
		358/1	0.259	0.259
		359/1	0.113	0.113
		361/1	0.076	0.076
		362/1	0.008	0.008
		363/1	0.008	0.008
		367/1	0.064	0.064
		440/1	0.158	0.158
		443/1	1.130	0.150
		444/1		
		453/2	0.633	0.200
		456/2/1	0.126	0.050

	योग		2.859	1.370
27	लालसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	355/2	0.215	0.215
		356/2	0.069	0.069
		357/2	0.026	0.026
		358/2	0.259	0.259
		361/3	0.076	0.076
		362/3	0.008	0.008
		363/3	0.008	0.008
		364/3	0.059	0.059
		367/3	0.063	0.063
		440/2	0.158	0.158
		443/3	0.980	0.980
		444/2	0.150	0.150
		456/2/2	0.127	0.050
	योग		2.198	2.121
28	पूरसिंह पिता कालू सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	361/2	0.075	0.075
		362/2	0.008	0.008
		364/2	0.060	0.060
		367/2	0.064	0.064
		443/2	0.759	0.200
		444/3	0.093	0.050
		456/1/2	0.583	0.050
	योग		1.642	0.507
29	कलाराम रामबाबू पिता भवरलाल शेतानबाई बेवा भवरलाल जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	368	0.417	0.417
	योग		0.417	0.417
30	हिराबाई बेवा हिन्दु सिंह चंदर सिंह विक्रमसिंह कमलसिंह यशोदा नर्मदा पिता हिन्दु सिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	369	0.429	0.429
		370	0.065	0.065
	योग		0.494	0.494
31	दूलसिंह पिता कालूसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	372/2	0.178	0.025
		374	0.089	0.020
		375	0.759	0.350
	योग		1.026	0.395
32	हरिसिंह पिता गणपत जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/1	0.105	0.010
	योग		0.105	0.010

33	विक्रमसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/2	0.105	0.010
	योग		0.105	0.010
34	कमलसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/3	0.105	0.010
	योग		0.105	0.010
35	जगन्नाथसिंह पिता कालूसिंह जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	376 377	0.239 0.166	0.020 0.025
	योग		0.405	0.045
36	बूलीबाई पति कलाजी धीरपसिंह ईश्वरसिंह ¹ रामेश्वर पिता कलाजी जाति रेवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378	0.133	0.025
	योग		0.133	0.025
37	ज्वालागिर पिता करणगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431 432	0.024 0.077	0.024 0.077
	योग		0.101	0.101
38	अम्बागिर पिता गंगागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	433 434	0.138 0.214	0.100 0.214
	योग		0.352	0.314
39	प्रेमगिर पिता कालूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	435 436/2	0.125 0.200	0.050 0.024
	योग		0.325	0.074
40	उमरावसिंह गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह चतरबाई बेवा भगवानसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	438	0.845	0.845
	योग		0.845	0.845
41	मानसिंह पिता देवजी जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	439	0.244	0.244
	योग		0.244	0.244
42	देवीसिंह बद्रीलाल बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	442/1 442/2 473/1 473/2 474	1.772 1.857 0.190	0.300 0.300 0.100
	योग		3.819	0.700
43	रायसिंह पिता परथीसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	445/1/1	1.151	1.151
	योग		1.151	1.151

44	कमलाबाई बेवा करण सिह बालीबाई पिता करणसिह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	445/1/2	1.151	1.151
	योग		1.151	1.151
45	चैनसिह पिता भेरुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	445/2/1	0.458	0.458
	योग		0.458	0.458
46	दुलेसिंह पिता भेरुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	445/2/3	0.458	0.458
	योग		0.458	0.458
47	अनारसिंह भागीरथ कमलाबाई केसरबाई पिता जगन्नाथ मेहताबबाई बेवा जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	446	0.647	0.647
		452/6/1	1.137	1.137
	योग		1.784	1.784
48	भैवरिया गंगा पिता अमरा रमेश रामचन्द्र पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	447/1	0.113	0.025
	योग		0.113	0.025
49	भेरुलाल पिता भीमा मानसिंह पिता गणेश जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	447/2	0.101	0.025
	योग		0.101	0.025
50	देवीसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	448	0.886	0.386
		322/16/2/2	0.633	0.633
	योग		1.519	1.019
51	प्रभुनाथसिंह पिता दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	451	0.482	0.100
	योग		0.482	0.100
52	हजारीलाल पिता धूला जाति आगरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	453/1	0.516	0.200
		456/1/1	0.240	0.050
	योग		0.756	0.250
	चन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	452/3	2.529	1.000
		452/1/3	1.400	0.759
	योग		3.929	1.759
54	हटेसिंह पिता प्रेम सिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	452/4/2	0.674	0.674
	योग		0.674	0.674
55	दुलेसिंह भगवान सिंह भोनी सिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता ग्राम भूमि स्वामी	322/16/1/3	0.392	0.392
	योग		0.392	0.392
56	तुफान सिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी	452/4/1/2	1.265	1.265
	योग		1.265	1.265
57	दुलेसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया ग्राम भूमि स्वामी	452/4/1/1	0.590	0.590
	योग		0.590	0.590
	महायोग	56.785	44.943	

नोट :— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू—अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. 10870/भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 7 रकबा 0.177 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 28 रकबा 0.291 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम नेशबोरदा

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.मे.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	
1	7	0.177	आबादी		1699.320
2	28	0.291	आबादी		1781.260
	2	0.468			3480.580

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :— ग्राम नेशबोरदा

1	7	0.177	श्रीलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/1	119.110
2			सूरजसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/2	119.110
3			यादवसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/3	142.210
4			अमृतलाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया	1/4	143.710
5			बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया	5/1	94.500
6			रघुवीर पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया	5/2	122.850
7			मुकेश पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया	5/3	118.800
8			नारानसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति सौंधिया	6	327.760
9			सरजनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		
10			दिलीपसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		

स.क्र.	आबादी का विवरण है.में		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग फीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकवा			
1	2	3	4	5	
11			पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/1	71.550
12			यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/2	90.460
13			कमलसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया	7/3	90.460
14			कृष्णबल्लभ पिता व्यारेलाल जाति सौंधिया	8	215.800
15			रामकलाबाई पति रामरतन जाति सौंधिया	9	43.000
योग :-					1699.320
16	28	0.291	ललिताबाई पति स्व. रामचन्द्र जाति सौंधिया	11	110.500
17			हरीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	14	26.400
18			रामचरण पिता बापूलाल जाति सौंधिया	16	58.080
19			गंगाराम पिता बापूलाल जाति सौंधिया	18	131.320
20			जगदीश पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया		
21			भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया		
22			शांतीबाई बेवा स्व. शिवचरण जाति सौंधिया		
23			कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया		
24			विजयसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया		
25			गिरवारसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया		
26			ललिताबाई पिता चन्द्रसिंह	12	21.950
27			कृष्णबल्लभ पिता व्यारेलाल	13	21.950
28			नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया	15	16.500
29			ताराबाई पति भगवानसिंह	4	45.600
30			प्रेमनारायण पिता रामचरण	3	72.000
31			शांतीबाई पति पृथ्वीसिंह	10	44.400

संक्र.	आबादी का विवरण हे.में		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में		
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा					
1	2	3	4	5			
32			श्रीलाल पिता कालूसिंह	2	256.960		
33			ललिताबाई पति बलवंतसिंह	21	176.000		
34			बलवंतसिंह पिता करणसिंह	22	110.000		
35			रघुवीर पिता बलवंतसिंह	23	110.000		
36			मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह	24	110.000		
योग :-					1781.260		
कुल योग :-					3480.580		
				या (हे.में)	0.348		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उज्जैन मध्यप्रदेश

क्र. कले.-उज्जैन-एस.डब्ल्यू.-549-17

राजगढ़, दिनांक 20 जनवरी 2017

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं भासन के आदेश क्रमांक एफ-2 के 19/2012/बी -3 दिनांक 18.1.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

एक— नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर — (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने से सम्मिलित करती है।

सारणी

पुलिस थाने का नाम / तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	ग्रामों एवं कालोनीयों क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम / तहसील जिला सहित जिससे से सम्मिलित किया गया है
	नाम	बंदोबस्त नंबर	वार्ड नंबर	
1			2	
थाना नरवर जिला उज्जैन से	चंदेसरा	81	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	चंदेसरी	82	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	प्रेमनगर	137	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	लालपुर	247	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	मंगल सिटी कॉलोनी	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	घरतरावदा	129	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	करोंदिया	28	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	कुंवारिया	81	ग्राम पंचायत	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	महालक्ष्मी नगर	285	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	डिवाईन सिटी	285	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नरवर जिला उज्जैन से	सनराईड सिटी	73	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	अभिलाषा कॉलोनी	137	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	साईंधाम कॉलोनी	250	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	शिव सिटी	137	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	आनंद बिहार	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन

थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	हामूखेड़ी	285	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	महाकाल एवेन्यू	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	कल्पतरु विहार	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	कल्पतरु एवेन्यू	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	कल्पतरु एक्सटेंशन	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	नाकोडा धाम	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	आदिनाथ रेसीडेंसी	17	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	पाश्वर्नाथ परिसर	141	52	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	नागझिरी	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	आदर्श नगर	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	इन्द्रा नगर	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	क्षिप्रा विहार	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	पावापुरी	141	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	नाकोडा हील	137	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	विक्रमनगर स्टेशन	148	52	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना माधवनगर जिला उज्जैन से	उद्योगपुरी	148	54	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन से	मालनवासा	221	53	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन से	त्रिवेणी बिहार	141	53	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन से	शक्करवासा	250	53	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन से	सांईबाग कॉलोनी	250	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन
थाना नानाखेड़ा जिला उज्जैन से	सांई विहार कॉलोनी	250	48	थाना नागझिरी जिला उज्जैन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

HOME (POLICE) DEPARTMENT

No. F-2(K) 2-08-B-3-Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department Order No. -F2-(K) 19/2012/B-3 Dated 18 January-2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3) of the said Table :

Table

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/ Local Areas (2)			Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Name of village	Settlement No. Local Areas	Ward No.	
Police Station Narwar Dist Ujjain	Chandesara	81	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Chandesari	82	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Prem nagar	137	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Lalpur	247	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Mangal city colony	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Dhatrawada	129	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Karondiya	28	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Kunwariya	81	Panchayat	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Mahalakshmi Nagar	285	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain

Police Station Narwar Dist Ujjain	Divine City	285	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Narwar Dist Ujjain	Sunride City	73	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Abhilasha Colony	137	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Saidham colony	250	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Shiv City	137	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Ananad Vihar	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Hamukhedi	285	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Mahakal Avenue	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Kalptaru Vihar	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Kalptaru Avenue	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Kalptaru Extension	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Nakoda Dham	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Adinath Residency	17	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain

Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Parshvnath Parisar	141	52	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Nagziri	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Adarsh nagar	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Indra Nagar	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Kshipra Vihar	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Pavapuri	141	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Nakoda Hill	137	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Vikram Nagar Station	148	52	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Madhavnagar Dist Ujjain	Udhyogpuri	148	54	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Nanakheda Dist Ujjain	Malanvasa	221	53	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Nanakheda Dist Ujjain	Triveni Vihar	141	53	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Nanakheda Dist Ujjain	Shakkarsava	250	53	Police Station Nagziri Dist. Ujjain
Police Station	Saibag Colony	250	48	Police Station
Nanakheda Dist Ujjain				Nagziri Dist. Ujjain
Police Station Nanakheda Dist Ujjain	Sai Vihar Colony	250	48	Police Station Nagziri Dist. Ujjain

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, रामनगर जिला सतना (मध्यप्रदेश)

रामनगर, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक /362/अनु0अधि0/भू-अर्जन/16 रामनगर दिनांक 27.5.16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेयजल हेतु ग्राम पुरैना तहसील रामनगर जिला सतना से रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना तक मध्यप्रदेश राज्य में मेंसर्स कार्यपालन यंत्री बाणसागर अपर पुरवा नहर संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इककीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर जिला सतना मध्यप्रदेश में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
1	2	3	4	5
सतना	रामनगर	ग्राम पुरैना प0ह0 18	385/4	0.046
			384	0.026
			382	0.035
			381	0.010
			334	0.015
			335	0.006
			336/1/क्र	0.021
			337/1	0.032
			339/1/छ	0.030
			353/1	0.036
			344/1	0.050
			345	0.032
			78/1	0.022
			72/1	0.017
			74/1/क	0.096
			5	0.039
			1	0.039
			कुल योग:-	0.552 हेक्टर

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक /362/अनु0अधि0/भू-अर्जन/16 रामनगर दिनांक 27.5.16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेयजल हेतु ग्राम पड़वी तहसील रामनगर जिला सतना से रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना तक मध्यप्रदेश राज्य में मेंसर्स कार्यपालन यंत्री बाणसागर अपर पुरवा नहर संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के आपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर जिला सतना मध्यप्रदेश में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)	
1	2	3	4	5	
सतना	रामनगर	ग्राम पड़वी प0ह0 2 मडकडा	177/1/क 178/2/ख 257/1 183 185 187 34 21/3/क 20/2/ख 20/4 13	0.025 0.023 0.021 0.008 0.011 0.007 0.022 0.039 0.055 0.033 कुल	हेक्टर 0.244 हेक्टर

प्रारूप चैर

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक /362/अनु0अधि0/भू—अर्जन/16 रामनगर दिनांक 27.5.16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेयजल हेतु ग्राम देवरी कला तहसील रामनगर जिला सतना से रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना तक मध्यप्रदेश राज्य में मेंसर्स कार्यपालन यंत्री बाणसागर अपर पुरवा नहर संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर जिला सतना मध्यप्रदेश में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
1	2	3	4	5
सतना	श्रामनगर	ग्राम देवरी कला प0ह0 19 देवरी कला	145	0.045
			143/1/ख	0.052
			कुल	0.097 हेक्टर

प्रारूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक /362/अनु0अधि0/भू-अर्जन/16 रामनगर दिनांक 27.5.16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेयजल हेतु ग्राम मसमासी कला तहसील, रामनगर जिला सतना से रामनगर तहसील रामनगर जिला सतना तक मध्यप्रदेश राज्य में मेंसर्स कार्यपालन यंत्री बॉण्सागर अपर पुरवा नहर संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामनगर जिला सतना मध्यप्रदेश में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि(हेक्टर में)
1	2	3	4	5
सतना	रामनगर	ग्राम मसमासी कला प0ह0 20	285/2	0.033
			283	0.056
			282	0.049
			276/3	0.017
			276/2	0.007
			274/2	0.013
			274/1	0.014
			274/4	0.014
			274/3	0.015
			273	0.008
			264/2	0.045
			246/1	0.038
			305	0.032
			307	0.045
			313	0.043
			315	0.021
			317	0.034
			356	0.033
			539	0.051
			538/1	0.017
			538/2/क 538/2/ख 538/2/ग	0.020
			536	0.015

		536	0.025
		373 / 2	0.021
		374 / 1 / क	0.008
		404	0.015
		403 / 1	0.035
		402	0.016
		401	0.015
		389	0.035
		387 / 1	0.024
		385 / 2	0.031
		384 / 1	0.015
		कुल योग:-	0.850 हे०

शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्र. एफ-16-64-2016-सात-2ए.—मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मई 2012 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-एफ-16-15-2012-सात-2ए, के तारतम्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के प्रकरणों का निराकरण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः—

1. धारा 57(2) के तहत प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सचिव, राजस्व सुनवाई करेंगे।
 2. सुनवाई के पश्चात् अंतिम निर्णय/आदेश हेतु प्रमुख सचिव के माध्यम से मान. मंत्रीजी राजस्व का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
 3. उपरोक्तानुसार अनुमोदन पश्चात् सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी किये जावेंगे।
- (2) विभागीय परिपत्र एफ-16-15-2012-सात-2ए, दिनांक 1 सितम्बर 2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंदा राठौर, अवर सचिव.

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश
क्र. सा.लि.-1186-17 नरसिंहपुर, दिनांक 30 जनवरी 2017

पुलिस चौकी यातायात झिरा धाटी जिला नरसिंहपुर की अधीसूचना जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2(क)-19/2012/बी-3/दो, दिनांक 08/08/2013 के द्वारा नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस हेतु अधिसूचना जारी की जाना प्रस्तावित है, म.प्र. शासन पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक /पुमु/18/योजना/3/767/2013 दिनांक 10/08/2013 के अंतर्गत प्राप्त निर्देश अनुसार जिलाधीश नरसिंहपुर, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर, जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी हेतु अधिसूचना जारी करने के संबंध में ग्रामों/क्षेत्रों का निर्धारण कर अनुशंसा भेजने हेतु एक संयुक्त बैठक दिनांक 19/08/15 को पुलिस नियंत्रण कक्ष सभागाह में आयेजित की गई, इस संयुक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी से राष्ट्रीय राजमार्ग 26, सुआतला थाना क्षेत्र से गुजरता हुआ सागर की ओर निकला है। जिससे रात-दिन भारी वाहनों का आवागमन होता है। जिससे आये दिन एक्सेंडेट/गंभीर दुर्घटनाये होती रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झिरा घाटी को नवीन यातायात पुलिस चौकी के रूप में स्थापित किया जाना आवश्यक है, क्षेत्र में निवासरत नागरिकों का सलभता से नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी की सेवाये उपलब्ध हो सके।

संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजने संबंधी निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी, राजमार्ग के ग्रामों एवं
कालोनियों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल

सारणी

3. बैठक का कार्यवंत तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिय गया।

कार्यालय कलेक्टर जिला—नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 – 1974 का सरल कमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश कमांक एफ 2(क)-19/2012/बी-3/दो, दिनांक 08/08/2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक— नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नं.— (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में समिलित करती है।

सारणी

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

HOME (POLICE) DEPARTMENT

NO. F-2(K) 2-08-B-3-Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F.2(K)-19/2012/B-3/2, BHOPAL, DATED 8.8.2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :

Name of the Police Station [with tehsil and the District from which excluded (1)]	Name of the Village/Local Areas (2)	Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Name of the /Ward No. Settlement No./ Local Areas	
POLICE STATION SUATALA, NARSINGHPUR	NIL	POLICE CHOWKI JHIRA GHATI, RAJMARG, NARSINGHPUR

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**
रीवा, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2778-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				प्राधिकृत अधिकारी	
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) पंडा पुरवा	(4) 2.000	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सब- माईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 2780-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सब-माईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				प्राधिकृत अधिकारी	
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) अमिलकोनी	(4) 2.995	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सब- माईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 2782-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) टोंक	(4) 1.085	(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर / सबमाईनर व अन्तिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	तहत प्राधिकृत अधिकारी	
(1) मण्डला	(2) बिछिया	(3) नयेगाँव ऐ. प.ह.नं. 30.	(4) 6.01	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	(6) हालौन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नए गांव माईनर, नए गांव सबमाईनर 1 एवं नए गांव सबमाईनर 2 नहर हेतु.

कुल . . . 6.01

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिडिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अमानगंज	(3) जसवंतपुरा	(4) निजी भूमि रकबा 6.088 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 0.125 है। कुल रकबा 6.213 है।	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना।	(6) जसवंतपुरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-59-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11(1) के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) छतरपुर	(2) बक्सवाहा	(3) पाली	(4) 13.750	(5) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर।	(6) जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु।

- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
			लगभग	क्षेत्रफल		
छतरपुर	राजनगर	बन्दरगढ़	0.16		भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	कुटने नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग.
(2)	भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।					

छतरपुर, दिनांक 22 जनवरी 2017

क्र. 206-अ-82-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
			लगभग	क्षेत्रफल		
छतरपुर	राजनगर	प्रतापपुरा	0.36		भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	कुटने नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग.
(2)	भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,	(1)	(2)	
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	72	0.041	
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	73	0.128	
	74	0.061	
रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2016	75	0.041	
	76	0.004	
पत्र क्र. 2751-प्रकाशन-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. जो भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 29 जुलाई 2016 को प्रकाशित की गई थी, जो अपरिहार्य कारणों से एतद्वारा निरस्त की जाती है:—	111	0.020	
	112	0.040	
	113	0.028	
	114	0.024	
	115	0.012	
	116	0.012	
	122	0.041	
	123	0.041	
	124	0.021	
	131	0.024	
(क) भूमि का वर्णन—	132	0.041	
(ख) जिला—रीवा	134	0.036	
(ग) तहसील—हुजूर	136	0.036	
(घ) ग्राम—भिटवा	139	0.016	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.338 हेक्टेयर.	142	0.053	
खसरा नं.	अर्जित रकमा	144	0.004
	(हेक्टेयर में)	145	0.004
(1)	(2)	146	0.004
अ-निजी पट्टे की भूमि		147	0.004
17	0.051	148	0.177
18	0.024	149	0.004
19/1	0.281	150	0.028
19/2	0.046	151	0.004
20	0.041	156	0.021
27	0.121	158	0.008
28	0.145	159	0.069
29	0.004	160	0.020
30	0.168		
31	0.032		
34	0.016		
35	0.121		
52	0.032		
53	0.045		
54	0.041		
55	0.012		
69	0.046		
70	0.004		
71	0.041		

ब-शासकीय भूमि की भूमि

निरंक	निरंक
अ + ब का कुल योग . .	2.338

अतः उपरोक्त भूमियों की प्रकाशित अधिसूचना निरस्त मानी जावे।

निरस्तीकरण अधिसूचना

पत्र क्र. 2753-प्रकाशन-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. जो भूमि-अर्जन पुनर्बंसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 29 जुलाई 2016 को प्रकाशित की गई थी, जो अपरिहार्य कारणों से एतद्वारा निरस्त की जाती है:—

निरस्तीकरण अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—हुजूर
- (ग) ग्राम—विसार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.113 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
1	0.042
8	0.071
योग . .	<u>0.113</u>

ब-शासकीय भूमि की भूमि

निरंक	निरंक
अ + ब का योग . .	<u>0.113</u>

अतः उपरोक्त भूमियों की प्रकाशित अधिसूचना निरस्त मानी जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. 240-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—घंसौर

(ग) ग्राम—हर्डी, प.ह.नं.-32	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.01 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)
162/2	0.01
योग . .	<u>0.01</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 243-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) ग्राम—हिंगवानी, प.ह.नं.-02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
394	0.340
योग . .	<u>0.340</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 244-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) ग्राम—सलेमा प.ह.नं.-07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
2/2	0.32
2/1	0.34
1	0.07
11/1	0.20
योग . .	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 245-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धंसौर
- (ग) ग्राम—गोलिह्या, प.ह.नं.-32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.80 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
130/3	0.15
124/2	0.11
153/2	0.04
146/1	0.05
133	0.17
132	0.01

(1) (2)

90/2	0.04
88	0.24
145	0.01
130/2	0.27
123	0.10
152/1	0.04
146/2	0.13
100	0.04
90/3	0.19
89	0.20
121	0.01
योग . .	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 246-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धंसौर
- (ग) ग्राम—गोलिह्या, प.ह.नं.-32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.27 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
74	0.21
73/3	0.20
64	0.12
63	0.23
56/1	0.20
57	0.30
60	0.23
62	0.01
49	0.02

(1)	(2)
50	0.20
22	0.16
37	0.06
28	0.05
34/1	0.10
33/1	0.16
5	0.01
58	0.01
योग .	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 247-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धौंसौर
- (ग) ग्राम—खापा, प.ह.नं.-33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
36/2	0.01
36/3	0.10
36/4	0.18
योग .	0.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 248-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित

भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धौंसौर
- (ग) ग्राम—गाडाधाट, प.ह.नं.-08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
3	0.06
20	0.01
5	0.11
21	0.13
26/1	0.05
84	0.10
83	0.02
90	0.15
78	0.01
2/1	0.03
4/1	0.13
22	0.11
91/1	0.12
24/2	0.27
87	0.09
91/4	0.04
25	0.02
योग .	1.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—हालोन जलाशय परियोजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 11 जनवरी 2017.

क्र. भू-अर्जन-पथरिया-2017-150-1.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	(1)	(2)	(3)
122	0.12	0.12	
110	0.16	0.16	
140/2	0.48	0.48	
150/2	0.25	0.25	
150/1	0.50	0.50	
146/3	0.16	0.16	
144	0.32	0.32	
143	0.26	0.26	
141/2	0.56	0.56	
118/5	1.20	1.20	
118/3	0.08	0.08	
116	0.15	0.15	
118/2	0.80	0.80	
114/3	0.05	0.05	
118/1	1.15	1.15	
115/2	0.46	0.46	
127	0.44	0.44	
82/1	0.38	0.08	
112/4	0.12	0.12	
115/1	0.26	0.26	
114/2	0.32	0.32	
113/2	0.39	0.39	
113/1	0.14	0.14	
112/3	0.24	0.24	
158	0.63	0.63	
157/2	0.20	0.20	
157/1	0.42	0.42	
156/1	0.81	0.81	
181	1.03	1.03	
155	0.39	0.39	
180	1.13	1.13	
154/1164	0.27	0.27	
152/1	0.62	0.62	
147	0.31	0.31	
149	0.42	0.42	
154/1	0.15	0.15	
154/2	0.15	0.15	
153	0.35	0.35	
152/2	0.54	0.54	
120/2	0.32	0.32	
136/2	0.26	0.26	
145	0.60	0.60	
146/2	0.16	0.16	
151/2	0.42	0.42	

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

(क) जिला—दमोह	144	0.32	0.32
(ख) तहसील—पथरिया	143	0.26	0.26
(ग) ग्राम—केवलारी	141/2	0.56	0.56
(घ) लगभग क्षेत्रफल—72.29 हेक्टेयर.	118/5	1.20	1.20
	118/3	0.08	0.08

खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकबा	(1)	(2)	(3)
112/2	0.38	0.38	118/2	0.80	0.80
109	0.62	0.62	114/3	0.05	0.05
119	0.24	0.24	118/1	1.15	1.15
121	0.14	0.14	115/2	0.46	0.46
105	0.70	0.56	127	0.44	0.44
124	0.14	0.14	82/1	0.38	0.08
130	0.25	0.25	112/4	0.12	0.12
112/1	0.38	0.38	115/1	0.26	0.26
111	0.02	0.02	114/2	0.32	0.32
114/1	0.14	0.14	113/2	0.39	0.39
84	0.45	0.45	113/1	0.14	0.14
123	0.12	0.12	112/3	0.24	0.24
141/1	0.21	0.21	158	0.63	0.63
138	0.70	0.70	157/2	0.20	0.20
139/1	1.37	1.37	157/1	0.42	0.42
148	0.37	0.37	156/1	0.81	0.81
136/1	0.26	0.26	181	1.03	1.03
137	0.68	0.68	156/1	0.39	0.39
83	0.58	0.42	180	1.13	1.13
133	0.08	0.08	154/1164	0.27	0.27
120/1	1.54	1.54	152/1	0.62	0.62
106	0.28	0.26	147	0.31	0.31
78/1	0.80	0.16	149	0.42	0.42
140/1	0.47	0.47	154/1	0.15	0.15
146/1	0.15	0.15	154/2	0.15	0.15
223/2	0.62	0.20	153	0.35	0.35
195	1.52	1.52	152/2	0.54	0.54
139/2	0.05	0.05	120/2	0.32	0.32
132	0.50	0.50	136/2	0.26	0.26
			145	0.60	0.60
			146/2	0.16	0.16
			151/2	0.42	0.42

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
151/3	0.42	0.42	203	0.84	0.84
150/3	0.24	0.24	201/1	0.16	0.16
175	0.84	0.84	194	0.34	0.34
174/1	0.53	0.53	193/2	0.16	0.16
171	0.35	0.35	193/1	0.16	0.16
170	0.29	0.29	190	0.89	0.89
233	0.64	0.64	170	0.29	0.29
190	0.89	0.89	233	0.64	0.64
167	0.04	0.04	188/2	0.07	0.07
164	0.62	0.62	187	0.24	0.24
165	1.45	1.45	199/1	0.23	0.23
162	0.33	0.33	192	0.36	0.36
161	0.48	0.48	197	0.85	0.85
163	0.29	0.29	168	0.02	0.04
204/2	0.47	0.47	232	0.48	0.48
159	0.68	0.68	231/4	0.16	0.16
160	0.37	0.37	231/3	0.28	0.28
245	1.51	1.30	231/1	0.16	0.16
240	0.83	0.83	230/2	0.10	0.10
177	0.30	0.30	230/1	0.11	0.11
184	0.03	0.03	202	1.43	1.43
156/4	0.32	0.32	226/1	0.14	0.14
179/3	0.38	0.38	227/1	0.14	0.14
156/3	0.32	0.32	226/2	0.04	0.04
179/2	0.38	0.38	173/2	0.06	0.06
156/2	0.16	0.16	189/2	0.30	0.30
179/1	0.39	0.39	207/2	0.06	0.06
126	0.15	0.15	227/2	0.13	0.13
131	0.34	0.34	166/2	0.42	0.42
178	1.92	1.92	224/1	0.22	0.22
125	0.15	0.15	228/1	0.36	0.13
129	0.22	0.22	185	0.53	0.53
208	0.05	0.05	224/2	1.27	0.50
209	0.05	0.05	228/2	0.54	0.54
206/1	0.04	0.04	229	0.38	0.38
206/2	0.04	0.04	186	0.19	0.19
166/1	0.42	0.42	188/1	0.23	0.23
210/1	0.05	0.05	196/1	0.09	0.09
189/1	0.31	0.31	196/2	0.16	0.16
206/3	0.04	0.04	196/3	0.32	0.32
204/5	0.24	0.24	223/3	0.53	0.15
204/4	0.47	0.47	173/1	0.25	0.25
204/3	0.23	0.23	174/2	0.15	0.15
204/1	0.47	0.47	308	0.20	0.20

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—दूड़ा (घ) लगभग क्षेत्रफल—220.51 हेक्टेयर.		
			खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	कुल अर्जित रकबा
309	0.15	0.15			
169	1.06	1.06			
238	0.69	0.69			
191/1	0.34	0.34	(1)	(2)	(3)
191/2	0.24	0.24	2/1 क	1.80	1.80
198	0.91	0.91	2/2	2.25	2.25
199/2	0.88	0.88	3	2.10	2.10
246/3	0.45	0.04	4/1 क	0.30	0.28
235	0.80	0.80	4/2 ख	0.92	0.92
237	0.17	0.17	26/1	0.09	0.09
239	0.59	0.59	27/2	0.40	0.40
236/1165	0.59	0.59	7	0.40	0.40
234	0.16	0.16	4/2 ख	0.15	0.15
236	0.50	0.50	5/1	2.11	2.11
193/3	0.07	0.07	26/2	0.01	0.01
201/2	0.05	0.05	67/1	0.46	0.46
200	0.84	0.84	67/2	0.44	0.44
244/5	0.20	0.20	78/1	0.02	0.02
244/3	0.17	0.17	78/2	0.01	0.01
108/1	0.04	0.04	83	0.03	0.03
108/2	0.08	0.08	6/1	0.40	0.40
85/3	0.16	0.04	7/1	0.40	0.40
244/2	0.17	0.04	7/2	0.73	0.73
305	0.09	0.03	6/2	0.07	0.07
142	0.57	0.57	8/1	2.99	2.99
135	0.94	0.094	6/3	0.08	0.08
योग . .		76.26	8/2	0.64	0.64
		72.29	9/1	2.02	2.02
			9/2	0.49	0.49
			10/1	0.93	0.93
			10/2	1.00	1.00
			10/3	0.40	0.40
			428/2	0.80	0.80
			432/2	0.50	0.50
			11/1	3.56	3.56
			12	0.12	0.12
			65	0.39	0.39
			80	0.03	0.03
			84	0.07	0.07
			14/1	1.54	1.54
			14/2	1.70	1.70

(2) कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण, संभाग हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र भू-अर्जन-पथरिया-2017-150-2.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह

(ख) तहसील—पथरिया

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
15	2.67	2.67	49	0.14	0.14
16	3.00	3.00	88	0.03	0.03
18	2.66	2.66	38	1.20	1.20
22/2	0.72	0.072	39	0.30	0.30
21	0.80	0.80	45	0.25	0.25
22/1	0.71	0.71	41/3	0.02	0.02
23/1	0.90	0.90	41/4	0.02	0.02
24/3	0.40	0.40	42/1	0.02	0.02
23/2	1.12	1.12	42/2	0.02	0.02
23/4	0.20	0.20	336/1	0.29	0.29
68/2	0.53	0.53	42/3	0.01	0.01
150/5	0.35	0.35	47/1	0.35	0.35
24/2	0.45	0.45	146/3	1.00	1.00
27/1	0.82	0.82	332	0.18	0.18
29	0.51	0.51	51	0.11	0.11
47/2	0.10	0.10	52	0.10	0.10
101	0.01	0.01	53	0.04	0.04
146/1	1.27	1.27	115	0.49	0.49
147	0.63	0.63	54/1	0.04	0.04
424	0.45	0.45	114/1	0.12	0.12
28/1	0.20	0.20	116/1	0.90	0.90
69/2	0.86	0.86	390/1	0.10	0.10
86/1	0.02	0.02	117/2	0.08	0.08
150/3	0.35	0.35	54/2	0.04	0.04
28/3	0.19	0.19	114/2	0.12	0.12
69/3	0.71	0.71	116/4	0.90	0.90
150/4	0.35	0.35	360/2	0.09	0.09
86/2	0.03	0.03	117/3	0.09	0.09
30	0.53	0.53	54/3	0.04	0.04
31	0.87	0.87	360/3	0.09	0.09
35/1	0.13	0.13	116/5	0.90	0.90
41/1	0.02	0.02	55	0.08	0.08
32/1	0.32	0.32	57	0.03	0.03
60	0.25	0.25	419	0.04	0.04
58	0.05	0.05	59	0.04	0.04
32/2	0.39	0.39	62	0.04	0.04
41/2	0.02	0.02	66	0.31	0.31
	0.25	0.25	68/3	0.37	0.37
34	0.03	0.03	69/5	0.25	0.25
35/2	0.91	0.91	76	0.24	0.24
35/3	0.90	0.90	150/6	0.35	0.35
37	1.38	1.38	86/3	0.02	0.02
40	2.03	2.03	69/4	0.35	0.35
44	1.32	1.32	23/5	0.20	0.20

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
69/1	1.58	1.58	426/3	0.51	0.51
71	0.70	0.70	428	0.90	0.90
73	0.10	0.10	340/2	0.40	0.40
123	1.92	1.92	99	0.01	0.01
98	0.04	0.04	100	0.02	0.02
117/1	0.22	0.22	103/2	0.02	0.02
343	3.13	3.13	105	0.04	0.04
422	2.21	2.21	107	0.03	0.03
344	2.40	2.40	108	0.01	0.01
74	0.11	0.01	109	0.02	0.02
75	1.09	1.09	323	0.65	0.65
408	1.64	1.32	110	0.13	0.13
77	0.22	0.22	113	0.02	0.02
79	0.03	0.03	124/1	0.08	0.08
148	1.13	1.13	124/3	0.18	0.18
81	0.03	0.03	125/1	0.06	0.06
106	0.02	0.02	124/2	0.23	0.23
82	0.03	0.03	125/2	0.22	0.22
133	3.34	3.34	129	0.07	0.07
85	0.03	0.03	165	0.67	0.67
134/1	0.35	0.35	348	2.09	2.09
87	0.06	0.06	364/1	0.27	0.27
91	0.18	0.18	367	0.38	0.38
116/3	0.40	0.40	370	0.22	0.22
119	8.34	8.34	372/2	1.92	1.92
103/1	0.03	0.03	372/4	1.50	1.50
361/1	3.87	3.87	372/5	1.28	1.28
368	0.47	0.47	418/4	0.08	0.08
89	0.16	0.16	126/2	0.02	0.02
92/1	0.03	0.03	128	0.52	0.52
92/2	0.02	0.02	130/1	1.12	1.12
92/3	0.02	0.02	130/2	1.12	1.12
93	0.02	0.02	131	0.38	0.38
374	0.22	0.22	140/2	0.38	0.38
375	0.12	0.12	141	3.22	2.50
380	1.40	1.40	322/3	0.40	0.40
102	0.02	0.02	322/5	2.00	2.00
94	0.13	0.13	143	0.45	0.45
95	0.06	0.06	136/3	0.54	0.54
372/4	0.57	0.57	134/2	0.97	0.74
97/1	0.01	0.01	136/1	0.41	0.31
97/2	0.01	0.01	144	0.81	0.81
127	0.64	0.64	145	0.31	0.31
371	1.62	1.62	146/2	1.60	1.60

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
139	0.47	0.47	324/1	0.38	0.38
140/1	0.43	0.43	324/2	2.00	2.00
315/1	0.14	0.14	325	1.12	1.22
426/2	0.51	0.51	326	2.00	2.00
315/2	0.14	0.14	329	0.77	0.17
149	0.05	0.05	330/1	0.17	0.17
178	0.20	0.20	339/3	0.36	0.36
150/1	0.45	0.45	320/2	0.26	0.26
155	0.95	0.095	339/2	0.36	0.36
150/2	0.20	0.20	418/2	0.40	0.40
157	0.57	0.57	418/3	0.20	0.02
314	0.10	0.10	330/3	0.17	0.17
152	0.05	0.05	339/4	0.12	0.12
154	0.12	0.12	330/4	0.17	0.17
160/1	1.50	1.50	339/5	0.34	0.34
158	0.05	0.05	336/2	0.40	0.40
159	0.12	0.12	338	0.15	0.15
162	0.85	0.085	339/1	0.36	0.36
163	0.89	0.89	346	0.08	0.08
164/1	0.94	0.094	350	0.86	0.86
166/1	0.02	0.02	352	1.03	1.03
166/2	0.88	0.88	353	0.56	0.56
167/1	0.40	0.40	363	0.21	0.21
167/2	0.64	0.64	164/2	0.46	0.46
170/1	0.13	0.13	164/3	0.15	0.15
170/2	0.14	0.14	423/1	0.22	0.22
180/2	0.01	0.01	432/1	1.10	1.10
179/2	0.01	0.01	136/2	1.00	0.90
170/3	0.13	0.13	19	0.47	0.47
168/1	0.24	0.24	20	0.30	0.30
173	0.14	0.14	23/3	1.04	1.04
175	0.32	0.032	24/1	0.40	0.40
179/1	0.40	0.40	347	0.08	0.08
180/1	0.64	0.40	423	1.13	1.13
181/1	0.27	0.27	355/1	0.69	0.69
182/1	0.15	0.15	355/2	0.99	0.99
182/2	0.08	0.08	355/3	0.21	0.21
182/3	0.70	0.20	358	0.46	0.46
182/4	0.52	0.13	359/1	0.53	0.53
190/1	2.10	0.55	359/2	0.08	0.08
220/2	0.14	0.10	372/1	0.40	0.40
220/3	0.14	0.10	372/3	0.64	0.064
322/4	2.08	2.08	383	0.84	0.84
322/6	1.00	1.00	384	0.63	0.63

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
46	1.02	1.02	405	1.27	1.04
116/2	0.40	0.40	406	0.59	0.55
118	0.13	0.13	413/1	0.10	0.10
365/2	0.40	0.40	414/1	1.09	1.09
356	0.65	0.65	414/2	0.50	0.50
365/1	0.81	0.81	414/3	0.43	0.43
361/2	3.39	3.39	421/1	0.13	0.13
364/2	0.90	0.90	421/2	0.37	0.37
366	0.70	0.70	126/1	1.01	1.01
369/1	0.03	0.03	427	0.16	0.16
378/1	0.02	0.02	429/1	0.74	0.74
409/1	0.54	0.54	138/1	0.66	0.66
369/2	0.24	0.24	138/2	0.80	0.80
378/4	1.05	1.05	409/5	0.89	0.89
377	0.04	0.04	138/2	0.48	0.48
378/3	0.49	0.41	योग . .	224.08	220.51
390/2	1.00	1.00			
409/2	0.97	0.97			
379/1	0.31	0.31			
379/2	0.31	0.31			
372/4	0.08	0.08			
378/5	0.05	0.05			
382	0.58	0.58			
385/2	0.85	0.85			
388/6	1.05	1.05			
385/1	0.15	0.15			
386/1	0.37	0.37			
388/1	0.88	0.88			
386/2	0.36	0.36			
388/7	1.21	1.21			
388/4	0.88	0.88			
388/2	1.00	1.00			
409/3	0.88	0.88			
388/3	1.00	1.00			
391/1	1.23	1.23			
393/1	3.50	3.50			
391/3	0.80	0.80			
393/3	1.77	1.77			
392	3.08	3.08	खसरा	क्षेत्रफल	कुल अर्जित
396	1.88	1.88	क्र.	कुल रकबा	रकबा
407/2	0.55	0.55		(हेक्टे. में)	
397	0.62	0.50	(1)	(2)	(3)
398	0.18	0.11	72/4	1.40	1.02
407/1	0.17	0.17	73	2.26	1.13

(2) कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण, संभाग हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र भू-अर्जन-पथरिया-2017-150-4.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—पथरिया
- (ग) ग्राम—कोड़रमड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—43.06 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
74	1.99	1.99	114/6	0.31	0.31
75	0.30	0.30	115	1.49	0.75
79	0.80	0.80	205/2	0.25	0.25
78	0.45	0.45	123/1	1.45	1.00
81	0.21	0.21	124/1	0.50	0.50
82/1	0.11	0.11	124/2	0.10	0.10
84/1	0.26	0.26	125/1	0.38	0.38
86/1	0.22	0.22	125/2	2.00	1.84
82/2	0.21	0.21	126	0.33	0.13
84/2	0.54	0.54	127	1.31	0.05
86/2	0.44	0.44	67	0.50	0.50
85	1.08	1.08	70	1.77	0.94
87	1.29	1.29	141	0.43	0.14
88	3.10	3.10	145/2	0.37	0.37
89/1	1.59	1.59	143	0.49	0.49
89/2	1.59	1.59	145/1	0.38	0.38
89/3	0.80	0.80	145/3	0.37	0.25
93/1	0.51	0.34	147	0.80	0.40
94	0.48	0.48	148	0.83	0.48
96	0.49	0.49	149	0.51	0.51
98	1.93	1.93	150/1	0.26	0.26
99	0.44	0.44	150/2	0.25	0.25
100	0.38	0.38	197/1	0.23	0.23
101	0.55	0.55	197/2	2.40	1.00
102	0.52	0.52	198/4	1.00	0.18
103/1	0.09	0.09	197/5	0.46	0.27
103/2	0.08	0.08	201/1	0.34	0.34
105	0.48	0.48	201/2	0.33	0.33
106	0.50	0.50	202	0.67	0.54
107	0.50	0.50	203	0.67	0.54
108/1	0.13	0.13	205/3	0.20	0.13
108/2	0.37	0.37	205/4	0.08	0.05
109	0.50	0.50	197/3	0.12	0.12
110	0.41	0.41	197/4	0.11	0.11
111	0.41	0.41	योग . .	52.75	43.06
112	0.41	0.41			
113	0.41	0.41			
205/1	1.27	0.83			
114/1	0.32	0.32			
114/2	0.31	0.31			
114/3	0.31	0.31			
114/4	0.31	0.31			
114/5	0.31	0.31			

(2) कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा 0.78 हेक्टेयर भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण, संभाग हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 3rd January 2017

No.E-29-II-15-18-2005.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005, and as approved vide Resolution dated 21 October 2016 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh ('Competent Authority'), hereby makes following amendments in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006, which were published in the Madhya Pradesh Gazette Extra Ordinary dated 4th of March, 2006:—

(i) In Rule 3 subrule 1 after 'B'.—

"Application can also be made online through the website of Madhya Pradesh High Court.

The acknowledgment of such online application be provided online & by SMS" is added.

(ii) In Rule 4 subrule (1) after after application.—

"The application received online may be transferred to another Public Authority by Online/Offline mode as the case may be" is added.

(iii) In Rule 4 subrule (2) after refunded.—

"Provided that in case of online application, Rejection Order may be issued online" is added.

(iv) In Rule 4 subrule (3) after thereof.—

"The information may be supplied online wherever possible" is added.

(v) In Rule 4 subrule (4) after authorized person.—

"In case of Online application, the information may be supplied online wherever possible" is added.

(vi) In Rule 5 subrule (1)(b) after appellate authority.—

"An appeal before the appellate Authority may be presented online" is added.

(vii) In Rule 7 subrule (1) after Treasury Challan.—

"(including Cyber Treasury Challan) and after Treasury Head "0070 Other Administrative Services or payment through Online portal (www.mphc.gov.in/e-rti) under the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006" is added.

(viii) In Rule 7 subrule (2) after Treasury Challan.—

"(including Cyber Treasury Challan) and after Treasury Head "0070 Other Administrative Services or payment through Online portal (www.mphc.gov.in/e-rti) under the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006" is added.

(ix) In Form A & F after Treasury Challan.—

"Cyber Treasury Challan" is added.

By order of Hon'ble the Chief Justice
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. 37-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, महोदय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री ओंकार नाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (अत्याचार निवारण), अधिनियम, गुना.	गुना	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

क्र. 39-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-ब).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री विधान महेश्वरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास.	देवास	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.
2	सुश्री स्वाति बजाज, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शुजालपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर.	शुजालपुर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), म. प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.

No.B-224-I-7-3-2016 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2017 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information :—

Sr. No.	Name of Holidays (1) (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1.	Republic Day	26-01-2017	Thursday
2.	Mahashivratri	24-02-2017	Friday
3.	Holi (Dhuredi)	13-03-2017	Monday
4.	Gudi Padwa/Chaiti Chand	29-03-2017	Wednesday
5.	Ramnavmi	04-04-2017	Tuesday
6.	Good Friday/ Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2017	Friday
7.	Buddh Purnima	10-05-2017	Wednesday
8.	Id-Ul-Fitar	26-06-2017	Monday
9.	Raksha Bandhan	07-08-2017	Monday
10.	Janmashtmi	14-08-2017	Monday
11.	Independence Day	15-08-2017	Tuesday
12.	Ganesh Chaturthi	25-08-2017	Friday
13.	Id-Ul-Zuhra	02-09-2017	Saturday
14.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	19-09-2017	Tuesday
15.	Dussehra (30-09-2017)	Mahaashtmi Mahanavmi 28-09-2017 29-09-2017 30-09-2017	Thursday Friday Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Gandhi Jayanti	02-10-2017	Monday
17.	Deepawali (19-10-2017)	16-10-2017 17-10-2017 18-10-2017 19-10-2017 20-10-2017	Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
18.	Gurunanak Jayanti	04-11-2017	Saturday
19.	Id-milad un-Nabi	02-12-2017	Saturday
20.	Christmas Day	25-12-2017	Monday

Total: 26 Days

NOTES :—

1. New Year's Day dated 01-01-2017, Mahaveer Jaynti dated 09-04-2017, Moharrum dated 01-10-2017 falls on Sunday & Makar Sankranti dated 14-01-2017 fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 14th January, 11th February, 11th March, 8th April, 13th May, 10th June, 8th July, 12th August, 9th September, 14th October, 11th November, 9th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 22nd May 2017 to 16th June, 2017 and Winter Vacation from 22nd December 2017 to 31st December, 2017.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III-6-8/85 Pt-II dt. 26 May 2010.

MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. B-226-एक-7-3-2016-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2017 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	6 जनवरी 2017	शुक्रवार
2	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	18 जनवरी 2017	बुधवार
3	बसंत पंचमी	1 फरवरी 2017	बुधवार
4	देव नारायण जयंती	2 फरवरी 2017	गुरुवार
5	नर्मदा जयंती	3 फरवरी 2017	शुक्रवार
6	संत रविदास जयन्ती/स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस	10 फरवरी 2017	शुक्रवार
7	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	21 फरवरी 2017	मंगलवार
8	भाई दूज	14 मार्च 2017	मंगलवार
9	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2017	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)
10	भक्त माता कर्मा जयन्ती	24 मार्च 2017	शुक्रवार
11	निषादराज जयन्ती	01 अप्रैल 2017	शनिवार
12	हाटकेश्वर जयन्ती	10 अप्रैल 2017	सोमवार
13	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2017	मंगलवार
14	बल्लभाचार्य जयन्ती	22 अप्रैल 2017	शनिवार
15	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	28 अप्रैल 2017	शुक्रवार
16	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	29 अप्रैल 2017	शनिवार
17	शब-ए-बारात	12 मई 2017	शुक्रवार
18	महेश जन्यती	03 जून 2017	शनिवार
19	बडा महादेव पूजन	07 जून 2017	बुधवार
20	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस/कबीर जयन्ती	09 जून 2017	शुक्रवार
21	जमात-उल-विदा	23 जून 2017	शुक्रवार
22	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	24 जून 2017	शनिवार
23	नागपंचमी	28 जुलाई 2017	शुक्रवार
24	पारसी नववर्ष दिवस	17 अगस्त 2017	गुरुवार
25	नवाखाई	28 अगस्त 2017	सोमवार
26	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जूहा के ठीक पूर्व का दिवस)	01 सितम्बर 2017	शुक्रवार
27	ओणम	04 सितम्बर 2017	सोमवार
28	अनंत चतुर्दशी	05 सितम्बर 2017	मंगलवार
29	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2017	सोमवार
30	अग्रसेन जयन्ती	21 सितम्बर 2017	गुरुवार
31	महर्षि वाल्मीकी जयंती/महाराज अजमोढ़ देव जयंती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	05 अक्टूबर 2017	गुरुवार
32	भगवान सहस्रबाहू जयन्ती	27 अक्टूबर 2017	शुक्रवार
33	नामदेव जयन्ती	31 अक्टूबर 2017	मंगलवार
34	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2017	बुधवार
35	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2017	बुधवार
36	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2017	शुक्रवार
37	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	25 नवम्बर 2017	शनिवार
38	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2017	सोमवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 38 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं।
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें।
- (3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 38 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
- (4) खण्डपीठ इन्डौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे।

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. B-226-एक-7-3-2016-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2017 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :—

क्र.	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस.	6 जनवरी 2017	शुक्रवार
2	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	18 जनवरी 2017	बुधवार
3	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	21 जनवरी 2017	शनिवार
4	बसंत पंचमी	1 फरवरी 2017	बुधवार
5	देव नारायण जयंती	2 फरवरी 2017	गुरुवार
6	नर्मदा जयंती	3 फरवरी 2017	शुक्रवार
7	संत रविदास जयन्ती/स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्मदिवस	10 फरवरी 2017	शुक्रवार
8	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	21 फरवरी 2017	मंगलवार
9	भाई दूज	14 मार्च 2017	मंगलवार
10	वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस	20 मार्च 2017	सोमवार
11	भक्त माता कर्मा जयन्ती	24 मार्च 2017	शुक्रवार
12	निषादराज जयन्ती	01 अप्रैल 2017	शनिवार
13	हाटकेश्वर जयन्ती	10 अप्रैल 2017	सोमवार
14	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	11 अप्रैल 2017	मंगलवार
15	वल्लभाचार्य जयन्ती	22 अप्रैल 2017	शनिवार
16	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	28 अप्रैल 2017	शुक्रवार
17	अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती	29 अप्रैल 2017	शनिवार
18	शब-ए-बारात	12 मई 2017	शुक्रवार
19	महेश जयन्ती	3 जून 2017	शनिवार
20	बडा महादेव पूजन	7 जून 2017	बुधवार
21	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस/कबीर जयन्ती	09 जून 2017	शुक्रवार
22	जमात-उल-विदा	23 जून 2017	शुक्रवार
23	वीरांगना दुर्गाविता का बलिदान दिवस	24 जून 2017	शनिवार
24	नागपंचमी	28 जुलाई 2017	शुक्रवार
25	पारसी नववर्ष दिवस	17 अगस्त 2017	गुरुवार
26	नवाखाई	28 अगस्त 2017	सोमवार
27	ईद-उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	1 सितम्बर 2017	शुक्रवार
28	ओणम	04 सितम्बर 2017	सोमवार
29	अनंत चतुर्दशी	05 सितम्बर 2017	मंगलवार
30	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस	18 सितम्बर 2017	सोमवार
31	अग्रसेन जयन्ती	21 सितम्बर 2017	गुरुवार
32	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी मराराज का समाधि उत्सव.	05 अक्टूबर 2017	गुरुवार
33	भाई दूज	21 अक्टूबर 2017	शनिवार
34	भगवान् सहस्रबाहू जयन्ती	27 अक्टूबर 2017	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)
35	नामदेव जयन्ती	31 अक्टूबर 2017	मंगलवार
36	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2017	बुधवार
37	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2017	बुधवार
38	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2017	शुक्रवार
39	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	25 नवम्बर 2017	शनिवार
40	गुरु घासीदास जयन्ती	18 दिसम्बर 2017	सोमवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 40 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं।
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें।
- (3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. E-275-दो-2-54-13.—श्री हरिशंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के अंतर्गत 15 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2016 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

क्र. E-279-दो-2-6-12.—श्री बी. बी. शुक्ला, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-281-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 28(ख) के अनुसार दिनांक 15 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पचास दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. E-436-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 14 से 28 दिसम्बर 2016 तक पन्नह दिन का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने को अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-447-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री जे. एस. कटारिया, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक

31 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस (एक सौ सत्तासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इकीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इकीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री जे. एस. कटारिया, सेवानिवृत्त : 18-08-1987 प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-08-2016
3. नियुक्ति दिनांक से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 18-08-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक : 29 वर्ष, 00 माह, 12 दिन। कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 217 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 30 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 187 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इकीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इकीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. E-499-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-501-दो-2-59-2013.—श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 15 से 20 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-503-दो-2-19ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 24 से 26 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-505-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2016 तक पाँच दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-526-दो-2-45-2016.—श्री अविनाश कुमार खेरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खेरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खेरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-531-दो-2-26-2016.—श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रत्लाम को दिनांक 8 से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 से 12 दिसम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-536-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से 11 नवम्बर 2016 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-539-दो-2-30-2014.—श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 17 से 21 अक्टूबर 2016 तक पाँच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 21 अक्टूबर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. E-543-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-545-दो-2-59-2013.—श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-547-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2016 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटते पर श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-549-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटते पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2017

क्र. 35-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इकाई-ब(एक), दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त ¹ न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ललित कुमार मईड़ा (मेरिट क्रमांक 73).	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (द्वेषी जज).

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. 41-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार

ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता हैः—

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री जयराम सिंह कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी.	सिवनी	देवास	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री जयराम सिंह कटारिया, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर एवं बड़वानी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7-7- दिनों के लिए मण्डलेश्वर एवं बड़वानी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

टिप्पणी:—1. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 41-गोपनीय-2017, दिनांक 09 जनवरी 2017 के तारतम्य में, श्रृंखला न्यायालय द्वितीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर का मण्डलेश्वर से, प्रथम प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर का बड़वानी से एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन का देवास से, का समवर्ती प्रभार (Link Court) एतद्वारा समाप्त (de-link) की जाती है.

2. श्री जयराम सिंह कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी का प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास के पद पर, स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 42-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. क्रमांक I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-5181, दिनांक 7 जनवरी, 2017 के तारतम्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह आदेशित करता है कि श्री वृद्धावन लाल झा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर, दिनांक 31 जनवरी 2017 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने (दिनांक 08 जनवरी 2019 तक) अथवा आगामी आदेश होने तक प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् उन्हें देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

क्र. 44-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता हैः—

सारणी

क्र.	नाम	कहाँ से	कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी,	रीवा	सिवनी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:—श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 रीवा का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. 65-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 28 दिसम्बर 2016 एवं 04 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीबोक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके

नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता हैः—

सारणी

क्र.	नाम (2)	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त ^{न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ} (4)
1	सुश्री अनुदिता चौरसिया (मेरिट क्रमांक 02).	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	श्रीमती पदमिनी सिंह (मेरिट क्रमांक 04).	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री मनीष पाण्डे (मेरिट क्रमांक 05).	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, राजगढ़ के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	सुश्री सरिता चौधरी (मेरिट क्रमांक 16).	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री महेश कुमार त्रिपाठी (मेरिट क्रमांक 21).	सीधी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	सुश्री विजयश्री राठौर (मेरिट क्रमांक 22).	बैतूल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	श्री शरद जायसवाल (मेरिट क्रमांक 29).	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	सुश्री संजना मालवीय (मेरिट क्रमांक 30).	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	श्री रोहित कुमार (मेरिट क्रमांक 36).	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
10	सुश्री मृणालिनी सिंह (मेरिट क्रमांक 37).	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	श्री राधाकृष्ण यादव (मेरिट क्रमांक 40).	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी (मेरिट क्रमांक 53).	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
13	सुश्री पूजा सिंह मोय (मेरिट क्रमांक 55).	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
14	श्री शैलेन्द्र उईके (मेरिट क्रमांक 56).	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
15	श्री राहुल सोलंकी (मेरिट क्रमांक 57).	रतलाम	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
16	श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया (मेरिट क्रमांक 61).	मुरैना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
17	सुश्री प्रियंका चौहान (मेरिट क्रमांक 85).	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
18	सुश्री संगीता पन्द्राम (मेरिट क्रमांक 94).	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी, 2017

क्र. 77-गोपनीय-2017-II-2-33/57 (Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4 मार्च 2002, 14. जनवरी 2005, 4 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)/164, दिनांक 13 जनवरी, 2017 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी					
क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा), जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	भोपाल	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री रमाकान्त दुबे के स्थान पर.	
2	श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा.	खण्डवा	खण्डवा	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा की हैसियत से रिक्त स्थान पर.	

क्र. 79-गोपनीय-2017-II-2-33-57-Pt.-12.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालय को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी					
क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी			(3)
(1)	(2)				
1	श्री रमाकान्त दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.				प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भेपाल की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

क्र. 81-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, अलीराजपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री सुरेश चन्द्र पाल को अलीराजपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. B-285-दो-2-41-2013.—श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 15 जनवरी 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटते पर श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. E-497-दो-14-29-86.—श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (जे.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 3 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटते पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (जे.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (जे.) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-541-दो-3-91-2008.—श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटते पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आई.टी.), के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।